Con. 3.5.7.47
750

अंक 5
संख्या 7

मंगलवार
26 अगस्त,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. शपथ ग्रहण करना 1
2. संघीय अधिकार-समिति की रिपोर्ट (गत संख्या से आगे) 3

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 26 अगस्त, सन् 1947 ई॰

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में दस बजे दिन से माननीय डा॰ राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की:

श्री एस॰के॰ पाटिल (बम्बई: जनरल)।

***अध्यक्ष:** अब हम सूची एक में दी हुई मदों पर विचार करेंगे।

***श्री एच॰वी॰ कामत** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपका ध्यान एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जो 14-15 अगस्त की ऐतिहासिक अर्धरात्रि को घटित हुई थी। श्रीमान् मैं आपसे तथा इस सभा से गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिये क्षमा मांगता हूं परंतु यह मामला इतना महत्त्वपूर्ण है कि मैं उसे अविलम्ब आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। श्रीमान्, आपको स्मरण होगा कि शक्ति हस्तांतरणोत्सव की रात्रि के कार्यक्रम में पहला विषय वन्देमातरम् का गान था। इस सभा में हममें से कुछ लोग यानी कई एक माननीय सदस्य इस सभा-भवन में उस समय एक फौज-सी बना कर आये जिस समय वह गीत गाया जा चुका था। श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस मामले की ओर ध्यान दें क्योंकि उनके इस कार्य से कई बातें उत्पन्न होती हैं। उन सब लोगों ने सभा-भवन में एकबारगी इस प्रकार प्रवेश किया कि उससे यह मालूम होता था कि यह कार्य अकस्मात नहीं हुआ, बल्कि जान बूझकर किया गया। आपको स्मरण होगा कि सभा ने यह निश्चय किया था कि कार्यक्रम निश्चित करने का कार्य आप पर छोड़ दिया जाये, इस कारण इस सभा के सदस्यों की हैसियत से उनका यह कर्तव्य था कि वे कार्यक्रम में सम्मिलित होते। मेरे सभी मित्र इसे अच्छी प्रकार जानते हैं कि यद्यपि इस सभा ने इस गीत को राष्ट्रीय

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री एच.वी. कामत]

गीत के रूप में अभी स्वीकार नहीं किया है। परन्तु श्रीमान्, यह एक ऐसा गीत है जो हमारे देश के हजारों नर और नारियों की त्याग व तपस्या तथा प्राणदान व अश्रुदान से पवित्र हो गया है। यदि वे सदस्य जो राष्ट्रीय गीत के गान के उपरान्त उपस्थित हुये, यह कहें कि वे जान बूझकर नहीं बल्कि अकस्मात ही अनुपस्थित रहे तो मुझे बड़ा हर्ष होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्त प्रांत: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मुझे वास्तव में इसका दुख है कि मेरे एक ऐसे माननीय मित्र ने यह प्रश्न उठाया है, जिनके प्रति मेरा बड़ा आदरभाव व प्रेमभाव है। श्रीमान्, वास्तव में हममें से बहुत-से लोगों ने यह अनुभव किया था कि इस सभा के हमारे कुछ साथियों का व्यवहार उचित नहीं था, परंतु हम यहां किसी पर दबाव नहीं डाल सकते....

श्री एल॰ कृष्णास्वामी भारती (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, क्या मैं एक व्यवस्था संबंधी आपत्ति कर सकता हूं? मैं नहीं समझ पाया हूं कि हम किस विषय पर बोल रहे हैं। मैंने यह देखा है कि कई अवसरों पर, चाहे सभा के सम्मुख कोई प्रस्ताव हो या न हो, कुछ सदस्य उठ खड़े होते हैं। श्रीमान्, आप इतने नेक हैं कि इन सब बातों के लिये आज्ञा दे देते हैं। परन्तु मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या बिना आपके कहे हुये किसी सदस्य का उठ खड़ा होना उचित है कि नहीं। सभा के सम्मुख कोई निश्चित प्रस्ताव होने पर ही हमको अपने विचार प्रकट करने चाहिये। इसलिये मेरे विचार में कुछ सदस्यों के पक्ष में यह बहुत अनुचित है कि बिना सभा में कोई प्रस्ताव पेश हुये ही वे उठ खड़े हों; इसलिये इस संबंध में मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

***कुछ माननीय सदस्य:** शांति, शांति।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से अब यह विषय समाप्त कर देना चाहिये। श्री कामठ को जो कुछ कहना था वह हमने सुन लिया है। श्री बालकृष्ण शर्मा ने भी कुछ कहा और उसे भी हमने सुन लिया है। मैं नहीं समझता कि इस संबंध में अधिक वाद-विवाद करने से हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मेरे विचार से हमें इस विषय को यहीं समाप्त कर देना चाहिये।

अब हम कार्यक्रम की मदों पर विचार करेंगे। दूसरी मद, मद नं॰ 27 है।

संघीय अधिकार समिति की रिपोर्ट

(गत संख्या से आगे)

मद 27

***श्री के॰ सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सूची नं॰ 1 में दिये हुये संशोधन के बजाय सूची नं॰ 7 में मेरे नाम से दिये हुये संशोधन को पेश करना चाहता हूं। मैंने संशोधित संशोधन पेश किया है।

***अध्यक्ष:** जी हां।

***श्री के॰ सन्तानम्:** आपकी अनुमति से मैं यह पेश करना चाहता हूं कि मद 27 में 'अन्य संस्थाओं' शब्द के बाद ''संघ द्वारा पूर्णत: या अंशत: जिन संस्थाओं का खर्च पूरा किया जाता हो और'' शब्द रख दिये जायें।

यह संशोधन इसलिये पेश किया गया है कि इस मद द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघीय कानून द्वारा किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित कर सकती है। कई ऐसी संस्थायें हो सकती हैं जो निजी तौर पर या प्रान्तीय कोष से रुपया देकर बनाई गई हों। केन्द्रीय सरकार के लिये यह उचित न होगा कि वह किसी संस्था के संबंध में यह कहे कि वह राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था होने जा रही है। इस प्रकार की घोषणा का परिणाम यह हो सकता है कि यद्यपि कोई संस्था किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हो, वह एक अखिल भारतीय संस्था हो जायेगी और सभी लोग उसके साधनों का उपयोग करने लगेंगे। मैं यह अनुभव करता हूं कि कुछ संस्थाओं के संबंध में ऐसी घोषणा से लाभ हो सकता है। किन्तु इस अधिकार का उपयोग उन्हीं संस्थाओं के संबंध में होना चाहिये जिनका खर्च पूर्णत: या अंशत: केन्द्रीय सरकार उठाती हो। इसी दिशा में केन्द्रीय सरकार को किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित करने का अधिकार हो सकता है। श्रीमान्, मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** श्री पातस्कर, इन्हीं शब्दों में आपके नाम से भी एक संशोधन है।

***श्री एच॰वी॰ पातस्कर** (बम्बई: जनरल): श्रीमान्, श्री सन्तानम् के संशोधन को दृष्टि में रखते हुये मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता। आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मद 27 उसी प्रकार है जिस प्रकार भारत सरकार के सन् 1935 ई॰ के कानून की मद 11 है। उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था थी कि इस प्रकार की संस्था को संघ से सहायता प्राप्त होनी चाहिये। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और अपना संशोधन पेश नहीं करता हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पेश करना चाहता हूं कि मद 27 में ''और किसी अन्य'' शब्दों के बाद ''समान'' शब्द रख दिया जाये और ''संघीय कानून द्वारा यह घोषित किया गया हो कि वह राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था है'' की जगह ''संघ द्वारा जिन संस्थाओं का नियंत्रण होता हो या खर्च पूरा किया जाता हो'' रखा जाये।

श्रीमान्, इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि यह उसी प्रकार हो जायेगी, जिस प्रकार भारत-सरकार के कानून की सूची 1 की मद 11 है जिससे कि यह विचार उठा है। इसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं, परंतु मेरी राय में भारत-सरकार के कानून का आदेश कुछ अधिक स्पष्ट है। मेरे संशोधन का यह प्रभाव होगा कि इससे यह मद अन्य समान प्रकार की संस्थाओं के संबंध में लागू की जा सकेगी। समान शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन संस्थाओं का बोध होता है जिन पर संघीय सरकार इस मद को लागू कर सकती है।

इसमें मैं जो दूसरा परिवर्तन करना चाहता हूं वह यह है कि मैं ''संघीय कानून द्वारा यह घोषित किया गया हो कि वह राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था है'' शब्दों को निकाल देना चाहता हूं और उनकी जगह ''संघ द्वारा जिन संस्थाओं का नियंत्रण होता हो या खर्च पूरा किया जाता हो'' रखना चाहता हूं। मेरी राय में संघीय कानून द्वारा घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह मद सूची 1 में सम्मिलित है इसलिये संघ को कानून बनाने का अधिकार स्वत: प्राप्त हो जाता है। इसलिये संघीय कानून द्वारा घोषणा करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि इस मद में कानून बनाने का अधिकार सम्मिलित है। इसके स्थान में ''संघ द्वारा जिन संस्थाओं का नियंत्रण होता हो या खर्च पूरा किया जाता हो'' शब्द अधिक उपयुक्त होंगे। इस संशोधन का यही आशय है। इससे केवल मसविदा ठीक हो जाता है और इससे इस मद के उद्देश्य या इसके विस्तार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

जहां तक श्री सन्तानम् के संशोधन का संबंध है, मैं उसकी भावना से सहमत हूं।

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी** (सिक्किम और कूच बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पेश करना चाहता हूं कि मद नं॰ 27 में ''किसी अन्य संस्था'' के पहले ''किसी प्रान्त में'' शब्द रख दिये जायें।

श्रीमान्, मेरा यह सुझाव है कि भारतीय रियासतों में इस प्रकार की संस्थाओं को अछूता रखा जाये, अन्यथा इस सीधे-साधे आदेश के अधीन बहुत हस्तक्षेप हो सकता है।

***अध्यक्षः** मुझे इन्हीं संशोधनों की सूचना मिली है। अब संशोधनों और मूल मद पर बहस हो सकती है।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिये नहीं उठे।)

***अध्यक्षः** यह मालूम पड़ता है कि अन्य कोई सज्जन नहीं बोलना चाहते। श्री गोपालस्वामी आयंगर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रासः जनरल): श्रीमान्, मैं श्री सन्तानम् का संशोधन स्वीकार करता हूं जो इस प्रकार है कि ''अन्य संस्थाओं'' शब्दों के बाद ''संघ द्वारा पूर्णतः या अंशतः जिन संस्थाओं का खर्च पूरा किया जाता हो और'' शब्द रखे जायें।

मि॰ नजीरुद्दीन के संशोधन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 'समान' शब्द की जगह जान बूझकर 'कोई अन्य' शब्द रखे गये हैं क्योंकि मद 27 में जिन संस्थाओं का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है वे इम्पीरियल लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम, इम्पीरियल वार म्यूजियम और विक्टोरिया मेमोरियल हैं। यह विचार किया गया कि ये उस प्रकार की संस्थायें नहीं दिखाई देतीं जिनको संघ आर्थिक सहायता देना चाहेगा और जिनको संघीय व्यवस्थापिका राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थायें समझेगी। श्रीमान्, यह आवश्यक नहीं है कि हम यहां प्रतिबंधात्मक विशेषण 'समान' को रखें।

मि॰ नजीरुद्दीन के संशोधन में जो दूसरी बात कही गई है वह यह है कि भारत-सरकार के कानून के मद 11 की भाषा अधिक उपयुक्त है। उस भाषा में और इस मद में जो भाषा रखी गई है उसमें यह अंतर है कि ''संघ द्वारा पूर्णतः या अंशतः जिन संस्थाओं का खर्च पूरा किया जाता हो'' शब्दों की जगह ''संघ द्वारा जिन संस्थाओं का नियंत्रण होता हो या खर्च पूरा किया जाता हो'' शब्द रखे गये हैं। जहां तक बाद के हिस्से का संबंध है यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा कि श्री सन्तानम् का संशोधन है। ''नियंत्रण होता हो या'' शब्दों के प्रयोग से इस मद के अधिकार-क्षेत्र में वे संस्थायें भी आ जायेंगी जिनका खर्च पूर्णतः या अंशतः संघ द्वारा पूरा न किया जाता हो परन्तु जिन पर संघ केवल

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

नियंत्रण रखता हो। श्री सन्तानम् के संशोधन का यह उद्देश्य है कि संघ ऐसी संस्थाओं के संबंध में कानून न बनाये जिनका खर्च पूर्णत: या अंशत: संघ द्वारा न उठाया जाता हो। इसलिये इस संशोधन के उद्देश्य की पूर्ति के लिये, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया है, यह संभव नहीं है कि मैं भारत सरकार के कानून की भाषा को स्वीकार कर लूं।

जहां तक श्री हिम्मतसिंह महेश्वरी के संशोधन का संबंध है, मेरे विचार से उनका यह भय अनुचित है कि संघ भारतीय रियासतों के अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा। मैं उनसे यह कहता हूं कि वे इसका अनुभव करें कि यदि हम देशी रियासतों में स्थित इस प्रकार की संस्थाओं को उस आर्थिक सहायता से वंचित कर दें, जिसकी कि वे संघ से आशा रखते हों, तो उनकी कितनी हानि होगी और यदि यह मद उसी तरह रहने दी जाये तो यह दशा उत्पन्न हो जायेगी। मैं इन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं, इस मद के पीछे यह भावना कदापि नहीं है कि भारतीय रियासतों में स्थित संस्थाओं के अधिकार-क्षेत्र को अपने हाथ में ले लिया जाये। यदि भारतीय रियासतों के लोग और वहां के नरेश इस प्रकार की संस्थाओं को स्वयं चलाना चाहते हों और उनका पूरा खर्च भी उठाना चाहते हों तो मेरे विचार से संघ को इन संस्थाओं पर कोई भी नियंत्रण रखने की चिंता न होगी, परंतु यह भी संभव है कि राष्ट्रीय महत्त्व की ऐसी संस्थाओं के संबंध में, जिनको सुचारू रूप से रखने के लिये नरेश आर्थिक सहायता देने में असमर्थ हों, केन्द्र से सहायता प्राप्त करके भारतीय रियासतों के लोगों को लाभ हों। श्रीमान्, मेरे विचार से यदि यह मद इसी रूप में रहने दी जाये तो इससे भारतीय रियासतों को लाभ ही होगा।

***अध्यक्ष:** पहले जो संशोधन पेश हुआ है और जिसे श्री गोपालस्वामी आयंगर ने स्वीकार कर लिया है, वह श्री सन्तानम् का संशोधन है।

प्रस्ताव यह है कि:

''मद 27 में ''अन्य संस्थाओं'' शब्दों के बाद ''संघ द्वारा पूर्णत: या अंशत: जिन संस्थाओं का खर्च पूरा किया जाता हो और'' शब्द रख दिये जायें।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मुझे अपना संशोधन वापस लेने की आज्ञा दी जाये।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्षः** अब श्री हिम्मतसिंह महेश्वरी का संशोधन है। प्रस्ताव यह है किः

''मद 27 में 'किसी अन्य संस्था' शब्दों के पहले 'किसी प्रान्त में' शब्द रखे दिये जायें।''

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि मद 27 श्री सन्तानम् के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार कर ली जाये।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

मद 28

(मद 28 में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है किः

''मद 28 स्वीकार कर ली जाये।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** श्रीमती रेणुका रे के नाम से एक प्रस्ताव यह है कि मद 28 के बाद एक नई मद 28 (क) जोड़ दी जाये।

***श्रीमती रेणुका रे** (पश्चिमी बंगालः जनरल): श्रीमान्, मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहती।

मद 29

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी:** श्रीमान्, मैं यह पेश करना चाहता हूं कि मद 29 की जगह निम्नलिखित रख दिया जाये:

''आकाश-मार्ग, संघ में सम्मिलित किसी रियासत के अपनी सीमा के अन्दर हवाई यातायात स्थापित करने के अधिकार के अधीन।''

संभवत: इस सभा को ज्ञात है कि इस समय रियासतों को अपनी भूमि में हवाई यातायात स्थापित करने का अधिकार है। मैं यह चाहता हूं कि यह निश्चित रूप से बता दिया जाये कि क्या यह उद्देश्य है कि उनको यह स्वतंत्रता पूर्ववत् प्राप्त होगी या भविष्य में रियासतों में हवाई अड्डों और हवाई यातायात को संघ के नियंत्रण में रखने का विचार है।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान्, मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है कि श्री हिम्मतसिंह को जिसका भय है वह अवश्य ही चरितार्थ होकर रहेगा। कोई अपवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपनी सीमाओं के अंदर जो आकाश-मार्ग भारतीय रियासतों के प्रबंध में हैं उनके संबंध में भी नियंत्रण के लिये यह आवश्यक होगा कि केन्द्र को अधिकार सौंपा जाये।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि मद 29 की जगह निम्नलिखित रख दिया जाये:

''आकाश-मार्ग, संघ में सम्मिलित किसी रियासत के अपनी सीमा के अंदर हवाई यातायात स्थापित करने के अधिकार के अधीन।''

प्रस्ताव गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

''मद 29 स्वीकार कर ली जाये''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

मद 30

***श्री हरि विनायक पातस्करः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि मद 30 में 'संघीय' शब्द जहां दूसरी बार आया है वहां उसके स्थान में 'राष्ट्रीय' शब्द रख दिया जाये। प्रान्तीय सूची की मद 17 में प्रान्तीय थल-मार्गों और जल-मार्गों का उल्लेख है, इसलिये यह उचित है कि यहां उनका राष्ट्रीय थलमार्ग और जलमार्ग के रूप में उल्लेख किया जाये। मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

***श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रासः जनरल): श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि मद 30 में ''और जलमार्ग'' शब्द निकाल दिये जायें और ''संघीय सरकार'' शब्दों की जगह ''संघीय कानून'' शब्द रख दिये जायें। इस संशोधन को पेश करने का कारण यह है कि मद 31 में यह शब्द हैं: 'भूमि के ऐसे जल-मार्गों में जहाजरानी का संचालन तथा यातायात जिन्हें संघीय सरकार ने संघीय जल-मार्ग घोषित किया हो।' इसलिये यदि आप यहां जल-मार्ग शब्द को रहने देते हैं तो मद 30 और 31 बहुत कुछ एक समान हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त यदि आप 'जलमार्ग' जैसे साधारण शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जल-मार्गों के नियंत्रण का पूरा अधिकार जिसमें सिंचाई तथा दूसरी बातों का अधिकार भी सम्मिलित है केन्द्र के हाथ में आ जायेगा, परंतु इस मद का यह उद्देश्य कदापि नहीं है। इसलिये यह स्पष्ट करने के लिये कि यह मद सीमित रूप से ही प्रयोग में आयेगी, अच्छा यह होगा कि मद 30 से जल-मार्ग शब्द निकाल दिया जाये और मद 31 में उसे स्थान दिया जाये। जल-मार्गों की उन्नति के लिये बाद को विशेष आदेश रखे गये हैं। उद्देश्य यह है कि जल-मार्गों के संबंध में प्रान्तों के अन्य सभी अधिकार यथावत् रखे जायें। इन सभी कारणों से मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं।

श्री पातस्कर के संशोधन से जिसके अनुसार 'संघीय थलमार्गों' की जगह 'राष्ट्रीय थल-मार्गों' रखा जाना चाहिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

***श्री एन॰ माधवराव** (पूर्वी रियासतें: समूह): श्रीमान्, इस मद में मैं केवल इस उद्देश्य से एक संशोधन पेश कर रहा हूं कि मैं उन बातों पर जोर दूं जो इस सूची के निर्माताओं के मस्तिष्क में रही होंगी। थलमार्ग और जलमार्ग साधारणतया प्रदेशों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं और यदि किसी विशेष मामले में उन्हें संघीय

[श्री एन. माधवराव]

घोषित किया जाये तो यह उचित ही है कि संबंधित प्रदेश या प्रदेशों की सरकार से राय ली जाये और उसको यथेष्ट महत्त्व दिया जाये। यदि संघ इस प्रकार की घोषणा करेगा तो वह संबंधित थल-मार्ग या जल-मार्ग को सुधारने या उन्हें ऐसी कोटि का बनाने के लिये ही करेगा जिस कोटि का बनाने के लिये प्रदेशों के पास पर्याप्त साधन न हों। ऐसी दशा में यह कदापि संभव नहीं है कि कोई भी प्रदेश आपत्ति करेगा जब तक कि इस प्रस्ताव के साथ बहुत ही अस्वीकार्य दशायें न लगा दी गई हों। संघीय सूची में कई ऐसी बातें रखी गई हैं जिनसे यह जान पड़ता है कि संघीय सरकार ने केवल एक-पक्षीय कार्य के बारे में सोचा था परंतु मुझे विश्वास है कि वास्तव में उद्देश्य यह नहीं था। यह उचित ही होगा कि इस धारणा का निराकरण कर दिया जाये। श्रीमान्, इस संशोधन को वास्तव में मैं पेश नहीं करने वाला था क्योंकि मैं चाहता था कि समय नष्ट न हो। मैं यह विचार करता था कि इस प्रकार की घोषणा करने के पहले संबंधित प्रदेशों की राय अवश्य ली जायेगी। परंतु श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन के बाद मुझे इस मद के वास्तविक उद्देश्य और इसके अर्थ के संबंध में भ्रम हो गया है।

क्या इसका संबंध केवल थलमार्गों के निर्माण, उनकी उन्नति तथा उनकी देख-रेख से ही है? या इसका उद्देश्य यह है कि संघीय सरकार को सामान और यात्रियों को ले जाने के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया जाए? 30 और 31 दोनों मदों की शब्दावली स्पष्ट है। श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधनों से ही कुछ संदेह उत्पन्न हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में इन संशोधनों का उद्देश्य क्या है और इनको स्थान देने से इन मदों का रूप क्या हो जायेगा और (क) थल-मार्गों के देख-रेख के संबंध में तथा (ख) इन मार्गों से यात्रियों और सामान के आने-जाने पर नियंत्रण रखने के अधिकारों और उत्तरदायित्व पर इनका क्या असर पड़ेगा।

***माननीय श्री हुसैन इमाम** (बिहार: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, इस सभा के विचारार्थ तथा, यदि मेरा मत स्वीकार कर लिया गया तो, मसविदा तैयार करने वालों के पथप्रदर्शनार्थ मैं कुछ राय देना चाहता हूं। जहां तक जल-मार्गों का संबंध है मैं एक विशेष बात का हवाला देना चाहता हूं। हम इस पर सहमत हैं कि जहां तक जहाजरानी के नियंत्रण का संबंध है वह मद 31 में आ जाता है और उसे मद 30 में सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जल-मार्गों

के संबंध में एक बात और भी है जिसकी ओर हमें इस समय ध्यान देना है और वह यह है कि उनसे हमें जो बिजली प्राप्त होगी या उनसे हम जो सिंचाई कर सकेंगे उसकी उन्नति किस प्रकार करें। हमारी दामोदर घाटी की योजना में दो प्रान्तों को दिलचस्पी है। अर्थात् बिहार और पश्चिमी बंगाल को। वर्तमान व्यवस्था के अधीन बिना इन दो प्रान्तों की राय लिये हुये केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कानून नहीं बना सकती थी। इसी प्रकार रिहान्द घाटी की योजना भी है जिसका संबंध संयुक्त प्रांत के जिला मिर्जापुर और बिहार के जिला पलामु से है। इन दो प्रान्तों की राय से ही इस योजना के कार्य को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब चूंकि हम नये सिरे से कानून बना रहे हैं इसलिये यह आवश्यक है कि सिंचाई और बिजली के कार्यों को पृथक करने की व्यवस्था की जाये। छोटी नदियों के संबंध में, अर्थात् ऐसी नदियों के बारे में जिनका संबंध एक ही प्रान्त से हो, इस समय प्रान्तों को ही अधिकार दिया जा सकता है। परन्तु बड़ी नदियों के बारे में जिनका संबंध एक से अधिक प्रांतों से हो या उनकी उसमें दिलचस्पी हो, यह उचित ही है कि उनको केन्द्र या संघ के अधीन रखा जाये ताकि इस समय खर्च के कुछ भाग को उठाने में प्रान्तों को तैयार करने में हमें जो कठिनाई हो रही है वह दूर हो जाये। यह सभी जानते हैं कि प्रांत बहुत गरीब हैं, उनको बहुत ही कम साधन उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ, उड़ीसा की महानदी की योजना को लीजिये। अपने ही साधनों से उस योजना का खर्च उठाना उस प्रांत के लिये असंभव है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस मद की शब्दावली निर्धारित करते समय जहां तक ऐसी नदियों का संबंध है जिनसे प्रांतों को दिलचस्पी हो या जिनसे उनका संबंध हो, इसका ध्यान रखा जाये कि कहीं किसी प्रान्त के अधिकारों में हस्तक्षेप तो नहीं होता। यदि किसी नदी में एक से अधिक प्रान्तों की दिलचस्पी हो और बिजली या सिंचाई का ऐसा कोई बड़ा कार्य हाथ में उठाना हो तो यह आवश्यक है कि वह नदी संघ के अधिकार-क्षेत्र में रहे। मैं इस सुझाव को सभा के विचारार्थ पेश कर रहा हूं, इसलिये मुझे कोई संशोधन पेश नहीं करना है। यदि सभा इस विचार से सहमत हो तो इसे विधान का मसविदा तैयार करते समय उसमें स्थान दिया जा सकता है।

***श्री एम॰ अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता महोदय को जिस कठिनाई की आशंका है वह भारत सरकार के कानून के इस आदेश से पूर्णतया दूर हो सकती है कि यदि किसी प्रान्तीय विषय में दो प्रदेशों की दिलचस्पी हो तो संघीय व्यवस्थापिका एक से अधिक प्रदेशों के संबंध में कानून बना सकती है। वर्तमान मद में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

नहीं है और उसे सूची 1 में भी सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष प्रदेश अपने पक्ष में किसी अधिकार का प्रयोग चाहे या न चाहे, संघीय व्यवस्थापिका को सभी अधिकार सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात मैं यही कहना चाहता हूं।

जहां तक श्री माधवराव के संशोधन का संबंध है उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ सार है। यदि थल-मार्ग भारत सरकार को सौंपे जायें और संघीय सूची में उनको बिना किन्हीं शर्तों के सम्मिलित किया जाये तो इन पर आमद-रफ्त की व्यवस्था भी केन्द्र को ही करनी होगी। थल-मार्ग कई प्रदेशों से होकर जाते हैं। कोई भी ऐसा थल-मार्ग नहीं है जो प्रदेशों से होकर नहीं जाता और जहां तक सड़कों का संबंध है उनका प्रबंध प्रांतों के हाथ में है। इसलिये उनका यह प्रश्न ठीक ही है कि क्या केन्द्र का यह विचार है कि जहां तक सड़कों में आमद-रफ्त का प्रश्न है इसे प्रान्तीय व्यवस्थापिका के अधिकार-क्षेत्र से अलग कर दिया जाये। मेरी यह धारणा है कि इसे पूर्णतः केन्द्र के अधिकार-क्षेत्र में रख देना चाहिये। कई अवसरों पर संघ के हित के लिये इन सड़कों पर आमद-रफ्त पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जायेगा। परंतु साधारण आमद-रफ्त का प्रबंध प्रान्तों के हाथ में छोड़ा जा सकता है। केन्द्र के मोटर गाड़ियों के कानून से हम परिचित हैं। केन्द्रीय सरकार के मोटर गाड़ियों के कानून द्वारा आमद-रफ्त के प्रबंध के लिये आमद-रफ्त की प्रान्तीय बोर्डों को स्थापित करने का भार प्रान्तों को सौंपा गया है। इसी प्रकार यद्यपि थल-मार्गों को सूची 1 में सम्मिलित किया गया है परन्तु आमद-रफ्त के नियंत्रण के लिये कुछ अधिकारों को केन्द्र के हाथ में रखने के लिये व्यवस्था की जा सकती है और आमद-रफ्त की साधारण देख-रेख प्रान्तों के हाथ में दी जा सकती है। इसलिये श्री माधवराव ने जिस संशोधन का सुझाव रखा है उसे स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वर्तमान मद यथावत् रखी जा सकती है।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने जो यथेष्ट कारण बताये हैं उनको ध्यान में रखते हुये मैं उनके इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि मद 30 से 'जल-मार्ग' शब्द निकाल दिया जाये। यदि हम उसे वहां रहने दें तो मद 30 और मद 31 का कुछ अंश बहुत कुछ एक समान हो जायेगा और सूची के शेष अंश में जल-मार्गों से संबंधित मदों के बारे में भी बहुत कुछ ऐसा ही हो सकता है। इन्होंने वास्तव में जो संशोधन पेश

किया था उसके शब्द यह थे कि ''थल-मार्ग जो संघीय कानून द्वारा इस प्रकार घोषित किये गये हों'' और हमारे सामने श्री पातस्कर का भी यह संशोधन है कि ''संघीय थलमार्ग और जलमार्ग'' के स्थान में ''राष्ट्रीय थलमार्ग और जलमार्ग'' रखे जायें। मैं यह कह चुका हूं कि इस मद से हम 'जल-मार्ग' शब्द को निकाल रहे हैं लेकिन मेरे विचार से यदि इस मद की शब्दावली निम्न प्रकार रखी जाये तो इन दोनों माननीय सदस्यों की आपत्ति दूर हो जायेगी।

''राष्ट्रीय थलमार्ग जो संघीय कानून द्वारा इस प्रकार घोषित किये गये हों।''

यदि सभा इस छोटे से संशोधन को स्वीकार कर ले तो हमें फिर कोई कठिनाई न होगी।

दूसरा संशोधन श्री माधवराव ने पेश किया था। मेरे विचार से उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया है कि बिना पहले प्रदेशों की राय लिये हुये थलमार्गों को राष्ट्रीय थलमार्ग घोषित करना सम्भव न होगा। यह प्रतिदिन के शासन-प्रबंध की बात है और मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है कि उन्होंने जिन शब्दों का सुझाव किया है उनको मद 30 में स्थान दिया जाये। परन्तु वे इसका स्पष्टीकरण चाहते थे कि जिस प्रकार इस मद की शब्दावली रखी गई है उससे क्या अर्थ निकलता है जैसे कि क्या इसमें संघीय व्यवस्थापिका द्वारा सड़कों पर आमदरफ्त पर नियंत्रण करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेना भी सम्मिलित है? मैं उनसे यह समझने के लिये कहूंगा कि इस मद की शब्दावली जिस प्रकार रखी गई है उसमें मुख्यत: राष्ट्रीय थलमार्गों के निर्माण और उनके देख-रेख का उल्लेख है। जहां तक आमदरफ्त पर नियंत्रण रखने का संबंध है हम केन्द्र को स्पष्टतया कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। वास्तव में यातायात के अन्य साधनों जैसे जलमार्ग, रेलवे और मैं समझता हूं आकाश-मार्ग के संबंध में हमने इस सूची में स्पष्ट शब्दों में इसकी व्यवस्था की है कि केन्द्र यात्रियों के आवागमन पर नियंत्रण रखेगा। इस मद में हमने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिये मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय थल-मार्गों में भी आमदरफ्त पर नियंत्रण रखने के संबंध में प्रदेशों के जो अधिकार होंगे उनसे वे वंचित नहीं किये जायेंगे।

अब मैं उस प्रश्न को उठाना चाहता हूं जिसका हवाला मेरे माननीय मित्र मि॰ हुसैन इमाम ने दिया है। उन्होंने जलमार्गों का हवाला दिया था; परंतु जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हमारा यह इरादा है कि जलमार्ग शब्द को हम इस मद से निकाल देंगे। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा उसके आधार पर दूसरी तरफ श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने यह कहा कि विधान में यह व्यवस्था होगी कि

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

किसी ऐसे जलमार्ग के बारे में जिसका संबंध दो प्रदेशों से हो, वे दोनों प्रदेश केन्द्र से यह प्रार्थना कर सकेंगे कि वह उस जलमार्ग का नियमन और नियंत्रण करे। इस व्यवस्था के अतिरिक्त, जिसे अवश्य ही स्थान दिया जायेगा, मैं मि॰ हुसैन इमाम का ध्यान संघीय सूची की मद 83 की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें बाढ़ के नियंत्रण, सिंचाई, जलमार्गों में यातायात और पन-बिजली के लिये अन्तर प्रादेशिक जलमार्गों की उन्नति का उल्लेख है, उससे उन्हें पूर्ण संतोष हो जाना चाहिये।

***श्री एम॰ अनन्तशयनम् आयंगरः** क्या मैं श्री गोपालस्वामी आयंगर से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उन्होंने यह कहा कि यदि 'राष्ट्रीय थलमार्गों' शब्दों को बिना किसी विशेषता के प्रयोग किया जाये तो उनसे केवल राष्ट्रीय थल-मार्गों का निर्माण और उनकी देख-रेख समझा जायेगा और उन्होंने कहा कि मद 31 में ''ऐसे जलमार्गों से यात्रियों व सामान के आने-जाने'' की व्यवस्था है। उनके कथनानुसार केन्द्र को जो अधिकार दिए गए हैं उनसे इस व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पड़ती, बिना इस व्यवस्था के केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त ही न होंगे। इसके विपरीत क्या यह न समझा जाये कि इससे केन्द्र के अधिकारों को बाधा पहुंचती है और यदि यह ठीक है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि श्री माधवराव का संशोधन किसी रूप में स्वीकार किया जाये?

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, मेरा जवाब यह है। मैंने जो बातें कहीं वह इस प्रश्न पर विचार करते हुये कहीं। कानून की दृष्टि से मैं केवल सतह पर ही रहा। इस मद में यदि 'जलमार्गों' ही शब्द का प्रयोग हो तो इसमें आमदरफ्त के संबंध में भी नियम बनाने का अधिकार सम्मिलित है। मैंने यह नहीं कहा कि केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मैं वास्तव में यह बताना चाहता था कि हम राष्ट्रीय थलमार्गों में भी आमदरफ्त के नियम के लिये अकेले केन्द्र को ही अधिकार नहीं देना चाहते और इस सूची में इस मद को सम्मिलित करने का अर्थ यही है। मैंने श्री माधवराव से यह कहा कि यदि इस मद को इसी तरह भी रहने दिया जाये तो प्रदेशों से नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं छिनता। मेरे विचार से जो कुछ मैंने कहा उससे इन मदों की शब्दावली का कोई बारीक अर्थ निकाला जा रहा है, परंतु मुझे विश्वास है कि उससे उसके आशय का बोध हो जाता है।

***अध्यक्षः** श्री गोपालस्वामी आयंगर ने श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और श्री पातस्कर के संशोधन के आशय को स्वीकार कर लिया है। इसलिये मैं इन

संशोधनों को आपके सामने उस रूप में रखता हूं जिस रूप में वे रखना चाहते हैं। अर्थात्–

मद 30 की जगह निम्नलिखित रखा जाये:

''राष्ट्रीय थलमार्ग जो संघीय कानून द्वारा इस प्रकार घोषित किये गये हों।''

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब श्री माधवराव का संशोधन आता है।

***श्री माधवराव:** श्रीमान्, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

***अध्यक्ष:** श्री माधवराव ने अपना संशोधन वापस ले लिया है। मैं आशा करता हूं कि सभा उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की आज्ञा दे देगी।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं इस मद को, इसके संशोधित रूप में मतदान के लिये सभा के सामने रखूंगा। वह इस प्रकार है:

''30–राष्ट्रीय थलमार्ग जो संघीय कानून द्वारा इस प्रकार घोषित किये गये हों।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

मद 31

***अध्यक्ष:** मद 31। श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने एक संशोधन पेश किया है।

***श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** श्रीमान्, चूंकि मद 30 स्वीकार कर ली गई है इसलिये मद 31 को इस परिवर्तन के साथ रहने देना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि मद 31 में ''संघीय सरकार'' शब्दों के स्थान में ''संघीय कानून'' शब्द रख दिये जायें। संशोधित मद इस प्रकार होगी:

''यंत्र संचालित जलयानों के संबंध में भूमि के उन जलमार्गों में, जिन्हें संघीय कानून ने संघीय जलमार्ग घोषित किया हो, जहाजरानी का संचालन और

[श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

यातायात और ऐसे जलमार्गों का आवागमन संबंधी नियम, इत्यादि।''

इससे मद 31 मद 30 के अनुरूप हो जायेगी।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से जो संशोधन है वह दो रूपों में पेश किया गया है। उसको उसके पहले रूप में मैं पेश करना नहीं चाहता। मैं केवल उसका दूसरा रूप उपस्थित करना चाहता हूं। दूसरे रूप में भी वह दो भागों में विभाजित है। मैंने दो अलग-अलग भागों में उसकी सूचना दी थी किन्तु वे दोनों एक साथ छाप दिये गये हैं। दूसरे रूप में जिस प्रकार संशोधन रखा गया है उसके अंतिम भाग को ही मैं पेश करना चाहता हूं। जिस भाग को मैं पेश करना चाहता हूं, वह इस प्रकार हैः

''मद 31 में 'ऐसे जलमार्गों पर' शब्दों के स्थान में 'ऐसे जलमार्गों में' शब्द रखे जायें।''

श्रीमान्, यह संशोधन केवल मसविदा ठीक करने के लिये पेश किया गया है। जब हम थल-मार्गों का जिक्र करते हैं तो हम ऐसे थलमार्गों पर कहते हैं और जब हम जलमार्गों का जिक्र करें तो हमें ऐसे जलमार्गों में कहना चाहिये। जब आप सड़क से यात्रा करते हैं तो आप सड़क पर चलते हैं और जब जलमार्ग से यात्रा करते हैं तो जलयानों का कुछ हिस्सा सतह के नीचे होता है। इस संबंध में मेरा यही विचार है। जैसा कि मैं कह चुका हूं यह संशोधन केवल मसविदा ठीक करने के लिये पेश किया गया है और मुझे आशा है कि माननीय प्रस्तावक इसके औचित्य पर विचार करेंगे।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, मैं श्री अल्लादी के इस आशय के संशोधन को स्वीकार करता हूं कि मद 31 में 'संघीय सरकार' शब्दों की जगह 'संघीय कानून' शब्द रख दिये जायें।

जहां तक मि॰ नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन का संबंध है वह केवल इस बारे में है कि सही अंग्रेजी क्या होगी। आखिर इससे गति का बोध तो होता ही है। हम सड़क पर चलते हैं यह तो मानी हुई बात है। परंतु मैं नहीं जानता कि हम पानी में चलते हैं, कहना कहां तक ठीक होगा। मेरे विचार से 'पर' शब्द बिल्कुल गलत नहीं कहा जा सकता। मैं इस संशोधन को तुरंत ही स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मैं मसविदा तैयार करने वालों से कहूंगा कि वे इस मद की अंग्रेजी भाषा की ओर विशेष ध्यान दें और यह निर्णय करें कि 'पर' शब्द उपयुक्त होगा कि 'में'।

***श्री आर०वी० धुलेकर** (संयुक्त प्रांत: जनरल): सभापति जी, इनका जो यह संशोधन है वह ''आउट आफ आर्डर'' है, क्योंकि ''आन'' और ''इन'' के संबंध में अंग्रेजों को निर्णय करना चाहिये और वह अपने यहां ऐसा कर लेंगे। यह विधान चूंकि हिन्दी भाषा में बनने वाला है इसलिये इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्ष:** जब हिंदी होगी, तब देखा जायेगा।

***अध्यक्ष:** पहला संशोधन श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का है। उसे श्री गोपालस्वामी आयंगर ने स्वीकार कर लिया है। मैं यह समझता हूं कि सभा उसे स्वीकार करती है।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं आशा करता हूं कि सभा मि० नजीरुद्दीन को दूसरा संशोधन वापस लेने की आज्ञा दे देगी।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** मैं इस मद को मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं।

मद 31 संशोधित रूप में स्वीकार कर ली गई।

मद 32

***अध्यक्ष:** अब हम मद 32 को उठाते हैं। इसमें श्री वी०टी० कृष्णमाचार्य ने एक संशोधन पेश किया है।

***सर वी०टी० कृष्णमाचारी** (जयपुर): मैं उसे पेश नहीं करता हूं।

***श्री के० सन्तानम्:** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि:

''मद 32 के पैराग्राफ (ख) से 'ब्राडकास्टिंग' शब्द निकाल दिया जाये और अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

'संघीय ब्राडकास्टिंग और कानून और ब्राडकास्टिंग का नियमन'

[श्री के. सन्तानम्]

मैं यह सोच रहा था कि मद 32 पेश की जायेगी और यदि वह पेश होती तो मैं उसका समर्थन करता। जिस प्रकार इस मद की शब्दावली रखी गई है उसमें कानून का ही उल्लेख नहीं है बल्कि टेलीफोन, बेतार का तार, ब्राडकास्टिंग और अन्य प्रकार की यातायात, चाहे उस पर संघ का अधिकार हो या न हो, उनके स्वामित्व और नियमन पर केन्द्र के नियंत्रण का भी उल्लेख है। जहां तक कानून या इन यातायातों के नियमन का संबंध है इसमें कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता कि यह केन्द्र के अधिकार में होना चाहिये; परंतु केन्द्रीय यातायात के अतिरिक्त किसी प्रदेश में इस प्रकार के अन्य यातायात हों या न हों, यह एक ऐसा विषय है जिस पर सावधानी से विचार करना चाहिये। ऐसे बड़े देश में जहां सभी प्रकार की कठिनाइयां हैं और कई भाषायें हैं, यह आवश्यक है कि अधिकारों को बहुत सख्ती के साथ निश्चित किया जाये। मेरे विचार से कम से कम जहां तक ब्राडकास्टिंग का संबंध है यह आवश्यक है कि प्रत्येक ऐसे प्रदेश का जिसकी अपनी भाषा हो, इसके लिये अपना अलग प्रबंध हो किन्तु यह इसके अधीन अवश्य हो कि कानून या अन्य ऐसे मामलों के संबंध में जिनका नियमन आवश्यक हो केन्द्र नियमन करे। मैं यह चाहता था कि दूसरे मामले जैसे कि टेलीफोन और अन्य प्रकार के यातायात भी इसमें सम्मिलित कर लिये जाते, परंतु चूंकि वह संशोधन पेश नहीं किया गया है इसलिये मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं; ताकि कम से कम ब्राडकास्टिंग सम्मिलित कर लिया जाये। श्रीमान्, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

***श्री एम्पी॰ पट्टानी** (पश्चिमी भारत की रियासतों का समूह): अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन पेश करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:

''मद 32 के पैराग्राफ (ख) के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये:

'टेलीफोन, बेतार का तार, ब्राडकास्टिंग और इसी प्रकार के अन्य यातायात जिन पर संघ का अधिकार हो; और प्रान्तों या रियासतों के अधिकार में इसी प्रकार की यातायात का नियमन'।''

श्रीमान्, रियासतों ने रक्षा, यातायात तथा वैदेशिक मामलों के संबंध में संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है। यदि मेरी व्याख्या ठीक हो तो वे इन विषयों के संबंध में संघ के साथ पूर्णतया सहयोग करने के लिये तैयार हैं। वे ऐसे अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते जिनकी उन्हें आवश्यकता न हो। यातायात और रक्षा

का कार्य एक दूसरे पर निर्भर है। जब यातायात की ठीक व्यवस्था होगी तभी रक्षा हो सकेगी। इसलिये श्रीमान्, मेरे संशोधन का यह उद्देश्य नहीं है कि संघ के अधिकार सीमित किये जायें। मेरा सुझाव केवल इतना ही है कि संघीय टेलीफोनों, बेतार के तार, ब्राडकास्टिंग इत्यादि और प्रान्तों और रियासतों के इसी प्रकार के यातायात में कुछ अंतर होना चाहिये। प्रान्तों और रियासतों के यातायात पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये। मैं केवल दो प्रकार के स्वामित्व में अंतर रखना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

***श्री एन० माधवरावः** अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों को मैंने मुख्यतः सूचना प्राप्त करने के लिये पेश किया है और इनका उद्देश्य मसविदा ठीक करना नहीं है। मैं अपने उद्देश्य की व्याख्या करूंगा।

पहली उपमद, डाक और तार में, यह कहा गया है:

> ''परंतु शर्त यह है कि इस विधान के प्रयोग में आते समय किसी रियासती प्रदेश के स्वत्व उस काल तक सुरक्षित रखे जायेंगे जब तक कि उनमें परिवर्तन न किया जाये या उन्हें समाप्त न किया जाये।''

अब जहां तक डाक और तार का संबंध है कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कुछ रियासतों को बहुत कुछ प्रतिज्ञापत्रों के आधार पर दिये गये हैं। मुझे मालूम नहीं है कि तार के संबंध में ऐसा कोई प्रतिज्ञापत्र है कि नहीं, परंतु टेलीफोनों के संबंध में ऐसा समझौता है कि रियासतें अपने यहां उनको लगा सकती हैं व उनका प्रबंध कर सकती हैं। भारतीय रियासतों को टेलीफोन लगाने, उनकी देख-रेख करने, उनको जनसाधारण को अपने उपयोग के लिये देने, उनको मुनाफे के लिये चलाने या इसी उद्देश्य से लोगों या निजी तौर से चलाई जाने वाली कम्पनियों को लाइसेंस देने का अधिकार है, परंतु शर्त यह है कि रियासत की सीमा के बाहर ब्रिटिश भारत में या दूसरी रियासत में तार न दौड़ाये जायें।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि संघीय व्यवस्था संबंधी सूची की इस मद को स्वीकार करने से पहले दिये हुये इस आश्वासन पर क्या असर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त श्रीमान्, जहां तक सेविंग बैंकों का संबंध है यह मद यातायात के अधीन नहीं आती है। इसका उल्लेख यहां केवल इसलिये किया गया है कि

[श्री एन॰ माधवराव]

डाक विभाग उन्हें चलाता है। सेविंग बैंकों के संबंध में यह प्रश्न डेविड-सन कमेटी के सामने रखा गया था। उस कमेटी ने भारत सरकार से राय ली थी और उसने यह राय दी थी:

> ''यह कार्य जो सेविंग बैंक के हिसाब और कैश सर्टिफिकेटों की बिक्री का रूप ले लेता है, एक तरह का व्यावसायिक आदान-प्रदान है जिससे उससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है और इसका विचार किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यायोचित लाभ उठाये। परन्तु हम इसे स्वीकार करते हैं कि राजनैतिक व्यवहार में यह एक नवीन और अनुचित सिद्धांत होगा कि नरेशों की इच्छा के प्रतिकूल और कुछ अवसरों पर दरबार की स्थानीय व्यवस्था से प्रतिस्पर्धा करते हुये इस प्रकार के आदान-प्रदान का अधिकार सर्वोच्च सत्ता के हाथ में समझा जाये, इसलिये यदि कोई रियासत निश्चित रूप से इसके लिये कहे तो हम इस प्रकार के आदान-प्रदान को समाप्त करने के लिये बिल्कुल तैयार हैं।''

मैं कुछ ऐसी रियासतों से परिचित हूं जो अपने ही सेविंग बैंक स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत संभव है कि उनके उचित संचालन के लिये यह आवश्यक हो कि डाक-विभाग से यह कहा जाये कि वह अपने सेविंग बैंकों को हटा ले। अब जहां तक इसका प्रश्न है कि जो आश्वासन उस उद्धरण में दिया गया है जिसे मैंने आपके सामने रखा है, अब भी प्रामाणिक समझा जाता है या केवल ऐसी अस्थायी नीति का मामला समझा जाता है जिसे किसी समय भी बदला जा सकता है। यदि सभी बातें स्पष्टतया बतला दी जायें तो मैं बहुत आभारी हूंगा।

जहां तक बेतार के तार और ब्राडकास्टिंग का संबंध है, भारत-सरकार के कानून की धारा 129 में एक आदेश है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नये विधान में क्या इसी आशय की व्यवस्था की जायेगी। इन्हीं बातों के स्पष्टीकरण के लिये मैं तीन संशोधन पेश कर रहा हूं। वे इस प्रकार हैं:

> ''मद 32 के पैराग्राफ (क) में 'डाक और तार' शब्दों के बाद 'टेलीफोन डाकखाने के सेविंग बैंक' शब्द रख दिये जायें।''

> ''मद 32 के पैराग्राफ (ख) में 'टेलीफोन' शब्द निकाल दिया जाये और अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

> 'भारत सरकार के कानून सन् 1935 ई॰ की धारा 129 के समान इस विधान के आदेश के अधीन'।''

''मद 32 का पैराग्राफ (ग) निकाल दिया जाये।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैं यह पेश करता हूं कि मद 32 में पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ दिया जाये:

''(ख ख) इसी के समान अन्य प्रकार के यातायात के साधन,'' यह संशोधन केवल मसविदा ठीक करने के लिये पेश किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य गणना पूरी कर देना है।

खंड (क) में डाक और तार का उल्लेख है जिनकी स्वामिनी और प्रबंधकर्त्री सरकार है। खंड (ख) में टेलीफोन, बेतार के तार और ब्राडकास्टिंग का उल्लेख है। इसके साथ जिस उप-पैरा को मैं जोड़ना चाहता हूं उससे इस सूची में इसी के समान अन्य प्रकार के यातायात भी सम्मिलित हो जाते हैं। संभव है लोगों द्वारा डाक का व्यवसाय निजी तौर पर चलाया जाता हो। भारत सरकार को डाक संबंधी यातायात के संचालन का एकाधिकार प्राप्त है। इसलिये ताकि लोग डाक का व्यवसाय निजी तौर पर न चला सकें; इसलिये मैंने इस उप-पैरा को जोड़ देने का सुझाव रखा है। यह सुझाव मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के विचारार्थ ही रखा गया है और मैंने यह संशोधन केवल इसलिये पेश किया है कि वह इस संबंध में जो कुछ आवश्यक हो, करे।

श्री माधवराव ने डाकखाने के सेविंग बैंकों के बारे में जो संशोधन पेश किया है, मेरे विचार से यद्यपि उनका डाक-विभाग से ऐतिहासिक संबंध है लेकिन वे यातायात के अंग नहीं हैं और यातायात के लिये रियासतें संघ में सम्मिलित हुई हैं। इसलिये मेरे विचार से डाकखाने के सेविंग बैंकों के कानून को उठाने के पहले रियासतों के अधिकारियों से कुछ परामर्श किया जाना चाहिये। इस संबंध में मुझे केवल इतना ही कहना है।

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह पेश करना चाहता हूं कि मद 32 के पैरा (क) के ''या संघ द्वारा अपने अधिकार में लिये गये हों'' शब्द निकाल दिये जायें और मद 32 के पैरा (ग) के अंत में ''प्रान्त में'' शब्द रख दिये जायें।

श्रीमान्, अन्य संशोधनों के संबंध में जिन्हें मैंने आज सुबह पेश करने का दुस्साहस किया था, मुझ पर यह दोष लगाया गया है कि मैं सूक्ष्मग्राही हूं और

[श्री हिम्मतसिंह के. महेश्वरी]

यह कि मेरा भय निराधार है। मैं इन दोषों को स्वीकार करता हूं और मैं यह कहूंगा कि केन्द्र द्वारा अधिकारों को अपने हाथ में ले लेने की प्रवृत्ति के संबंध में मेरा भय मद 32 की शब्दावली या इस उपमद की किसी उपमद से दूर नहीं हो जाता। मैंने केवल (क) और (ग) मदों के संबंध में संशोधन पेश किये हैं, परंतु मद 32 के खंड (ख) के बारे में भी जो संशोधन पेश किया गया है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं।

श्रीमान्, इस संबंध में मैं इस सभा का ध्यान अप्रैल में इस सभा के सामने जो रिपोर्ट रखी गई थी उसकी मद 4 के खंड (ग) के उपखंड (क) की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमान्, उस समय उस रिपोर्ट के निर्माताओं का यह इरादा नहीं था कि डाक और तार के संबंध में रियासतों के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया जाये। इन अधिकारों को अपने हाथ में ले लेने का विचार बाद की उपज मालूम पड़ती है।

जहां तक अप्रैल की रिपोर्ट के खंड (ग) की मद 4 के खंड (ख) का संबंध है, उसकी ओर फिर ध्यान दिया जाये। उस समय इरादा यह था कि इसमें संघीय टेलीफोन, संघीय ब्राडकास्टिंग और संघीय बेतार का तार ही सम्मिलित होंगे और इसके अधीन वे टेलीफोन, बेतार के तार और ब्राडकास्टिंग नहीं होंगे जो रियासतों के अधिकार में हों या जिन पर उनका नियंत्रण हो। स्पष्टत: उद्देश्य यह था कि बेतार के तार और ब्राडकास्टिंग और इसी प्रकार के अन्य यातायात के साधनों का, जिन पर रियासतों का अधिकार हो नियमन किया जाये, परंतु उन पर नियंत्रण न रखा जाये। इसके विपरीत इस मद में ऐसी व्यवस्था है कि सभी टेलीफोनों, बेतार के तार के स्टेशनों, ब्राडकास्टिंग के स्टेशनों और इसी प्रकार के अन्य यातायात पर नियंत्रण रखा जाये, चाहे वे संघ के अधिकार में हों या न हों। मेरे विचार से अप्रैल की रिपोर्ट का मसविदा तैयार करते समय जिस सिद्धान्त का अनुकरण किया गया था उसे यहां स्पष्टतया अधिक विस्तृत कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त श्रीमान्, खंड (ग) के संबंध में अन्य वक्ता यह बता चुके हैं कि डाकखानों के सेविंग बैंक यातायात के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो उन तीन विषयों में से एक है जिनके संबंध में रियासतें या तो संघ में सम्मिलित हो गई हैं या आगे चलकर होने वाली हैं। व्यवहार में श्रीमान्, डाकखाने जो काम करते

हैं उससे उनको थोड़ा-बहुत लाभ ही होता है और यह उचित ही है कि भारतीय रियासतों को भी, जिन्होंने अपने बैंक स्थापित किये हैं, सेविंग बैंकों का कार्य अपने हाथ में लेने की आज्ञा दी जाये और उनके यहां भविष्य में इस कार्य को न करें।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रांत: जनरल): श्रीमान्, मेरा संशोधन इस प्रकार है:

''मद 32 के पैरा (ख) की जगह निम्नलिखित रखा जाये:

'(ख) टेलीफोन, बेतार का तार, ब्राडकास्टिंग और इसी प्रकार के अन्य यातायात, यदि इन पर संघ का इस समय तक अधिकार न हो तो इन पर अधिकार कर लेना।''

श्रीमान, तीन विषयों अर्थात् रक्षा, यातायात और वैदेशिक मामलों के संबंध में रियासतें संघ में सम्मिलित हुई हैं। श्रीमान्, वैदेशिक मामलों के संबंध में संघीय विषयों की सूची से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस संबंध में संघीय सरकार को ही पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। रक्षा के संबंध में भी नियंत्रण का पूर्ण अधिकार संघीय सरकार को प्राप्त है। वास्तव में मद 5 में यह व्यवस्था है कि रियासतें अपनी सेनायें रख सकती हैं, यद्यपि उनकी संख्या निश्चित करने, संगठित करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार संघ को प्राप्त है। मेरे विचार से अच्छा तो यह होता कि यह व्यवस्था होती ही नहीं और किसी प्रदेश को अपनी अलग सेनायें रखने का अधिकार न दिया जाता। इसी प्रकार यातायात के संबंध में मेरा यह विचार है कि रक्षा का कार्य उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि यातायात पर संघ का पूर्ण अधिकार न हो। हमें पिछले युद्ध का अनुभव है और हम यह जानते हैं कि किस प्रकार पंचम सेना के लोगों ने अपने गुप्त कार्य को आगे बढ़ाने के लिये बेतार के तार के ट्रांसमीटरों और अन्य साधनों का उपयोग किया। हम दूसरे युद्ध की भी कल्पना कर सकते हैं। उसके छिड़ने पर जब तक संघ यातायात पर पूर्ण नियंत्रण न रखेगा, वह रक्षा के संबंध में अपना उत्तरदायित्व उचित रूप से पूरा नहीं कर सकता। इसलिये मेरे विचार से जहां तक यातायात का संबंध है उस पर संघ का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। इसमें संदेह नहीं है और मैं इसकी कल्पना करता हूं कि हमारा संघ अपने प्रदेशों का विश्वास करेगा और शांतिकाल में अपने अधिकार उनको दे देगा और संघीय कानूनों द्वारा उनको स्वायत्त शासन प्रदान करेगा; परंतु संकटकाल में उसे नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये,

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

ताकि वह पूरी तैयारी के साथ उसका सामना कर सके। यदि इन साधनों के स्वामित्व का अधिकार हमें उपलब्ध न होगा तो हम इन पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम इस संघीय सूची में यह व्यवस्था करें कि यातायात के सभी साधनों के स्वामित्व का पूर्ण अधिकार संघ को प्राप्त है और उसे उन साधनों को भी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार प्राप्त है जिन पर इस समय उसका अधिकार नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह रियासतों के सभी सदस्यों के ध्यान में आ जायेगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने से उनका अपने प्रदेशों में अपनी ही भाषा में ब्राडकास्ट करने के लिये समुचित प्रबंध करने का अधिकार नहीं छिनता। केवल वे युद्धकाल में ब्राडकास्टिंग के प्रबंध पर नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार संघ को सौंप देंगे। इसलिये मैंने यह सुझाव रखा है कि ''चाहे इन पर संघ का अधिकार हो या न हो'' शब्दों को निकाल दिया जाये और वर्तमान खंड के अंत में ''यदि इन पर संघ का अधिकार न हो तो इनको अधिकार में ले लेना'' शब्द जोड़ दिये जायें। चूंकि कुछ रियासतों में उनका अलग प्रबंध है इसलिये मैं यह चाहता हूं कि कम से कम संकटकाल में संघ को उसे अपने हाथ में लेने का अधिकार होना चाहिये और मेरे विचार से इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

***श्री एम॰ अनन्तशयनम् आयंगर:** श्रीमान्, मैं श्री सन्तानम् के संशोधन का समर्थन करता हूं। हम सब इससे सहमत हैं कि केन्द्रीय सरकार को ब्राडकास्टिंग पर नियंत्रण रखने का अधिकार होना चाहिये। रियासतों के मंत्रियों ने अंत में यही तय किया कि संघीय सरकार से नियंत्रण का अधिकार लेने का प्रयत्न न किया जाये। उनके संशोधन से मैं केवल यह समझ पाया हूं कि उनको अपने ब्राडकास्टिंग स्टेशन स्थापित करने दिये जायें और कुछ हद तक उन पर नियंत्रण रखने दिया जाये। मुझे विश्वास है कि कानून में भारत-सरकार के कानून की धारा 129 के समान कोई व्यवस्था की जायेगी। उसमें संधियों और ऐसे उत्तरदायित्वों का उल्लेख है जिन्हें केन्द्रीय या संघीय सरकार तथा रियासतों या रियासतों के नरेशों को एक दूसरे के प्रति पूरा करना है और जो इस संबंध में हैं कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार हो और इसका भी उल्लेख है कि संकटापन्न स्थिति उत्पन्न होने पर गवर्नर जनरल को सारे देश के ब्राडकास्टिंग को अपने हाथ में ले लेने का अधिकार होना चाहिये चाहे कोई ब्राडकास्टिंग स्टेशन किसी रियासत में हो या प्रान्त में। मुझे विश्वास है कि संकटापन्न स्थिति की दशा में केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में अधिकार दे देने की व्यवस्था यहां भी की जायेगी। श्री सन्तानम् के संशोधन में

इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था है। वे उसे स्वीकार करते हैं कि प्रान्तों और रियासतों को अपने ब्राडकास्टिंग स्टेशन चलाने दिये जायें, परंतु उन पर राज्य के कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रण रखा जाये।

इसके अतिरिक्त मैं देखता हूं कि श्री महेश्वरी को मद 32 के खंड (क) की एक बात से आपत्ति है और वह किसी रियासत में ब्राडकास्टिंग स्टेशनों और डाक और तार को अधिकार में लेने के बारे में है। यह सच है कि भारत-सरकार के कानून की सूची 1 की मद 7 में इसका उल्लेख नहीं है। श्रीमान्, एकरूपता के उद्देश्य से यदि कोई रियासत अपने यहां के डाक और तार के यातायात के साधनों को बेच देना चाहे तो संघ को उन्हें अपने अधिकार में ले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। अधिकार में लेने का अर्थ यह नहीं है कि जब अधिकार में लेने की प्रार्थना की जाये या इस संबंध में समझौता किया जाये तभी उसे अधिकार में लिया जाये, परंतु उसका अर्थ अनिवार्य रूप से अधिकार में लेना भी है। उनको केवल अनिवार्य रूप से अधिकार में लेने से आपत्ति है।

जहां तक रेल का संबंध है, सम्पूर्ण रियासतों के हितार्थ सभी रेलों के केन्द्रीयकरण का प्रयत्न किया गया है। मैं इन रियासतों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जो संघ में सम्मिलित नहीं हो रही हैं। जो रियासतें संघ में सम्मिलित हो रही हैं उनके संबंध में पहले मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल की योजना का भी यह उद्देश्य था कि वे तीन विषयों के संबंध में अर्थात् रक्षा, वैदेशिक मामलों और यातायात के संबंध में सम्मिलित हों। यातायात के साधन बहुत-कुछ रक्षा की धमनियां कही जा सकती हैं। जब हम रक्षा का उल्लेख करते हैं तो हम संकटापन्न स्थिति की कल्पना करते हैं। इसलिये यातायात को संघीय विषयों के अंतर्गत आना ही चाहिये और इसमें कोई आगा-पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में रियासतों को मान या प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। उन्हें रियासतों के अंदर डाक और तार को अपने हाथ में लेने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को या तो स्वेच्छा से दे देना या समझौता से दे देना चाहिये और यहां तक कि अनिवार्य रूप से भी दे देना चाहिये।

मैं अपने माननीय मित्र श्री सन्तानम् के संशोधन का समर्थन करता हूं और अन्य संशोधनों का विरोध करता हूं।

***श्री एस०वी० कृष्णमूर्ति राव** (मैसूर): श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि खंड 32 में कोई प्रदेश ब्राडकास्टिंग, बेतार के तार, टेलीफोन इत्यादि का प्रबंध करने से

[श्री एम. वी. कृष्णमूर्ति राव]

वंचित किया गया है क्योंकि खंड (ख) में कहा गया है, टेलीफोन, बेतार का तार, ब्राडकास्टिंग और यातायात के अन्य प्रकार के साधन चाहे वे संघ के अधिकार में हों या न हों। इसलिये इस खंड का उद्देश्य केवल इतना ही है कि संघीय व्यवस्थापिका को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया जाये कि इस प्रकार के यातायात के साधनों पर संघ का स्वामित्व का अधिकार है या नहीं। विशेषतया भारतवर्ष जैसे देश में युद्ध-काल और संकट-काल में यातायात के साधनों का रक्षा-कार्य से निकट संबंध स्थापित करना होता है और इसलिये इनके संबंध में नियमन करने और कानून बनाने का अधिकार केन्द्र को और केवल केन्द्र को ही प्राप्त होना चाहिये।

मैं डाकखानों से सेविंग बैंकों को हटाने के संबंध में जो संशोधन पेश किया गया है उसके भी विरोध में हूं, क्योंकि डाकखाने बराबर सेविंग बैंकों का काम करते रहे हैं। कोई भी रियासत उतनी अच्छी सेवा नहीं कर सकती जितनी कि ये डाकखानों के सेविंग बैंक कर रहे हैं, विशेषतया देहात में। लगभग प्रत्येक रियासत के खजानों में अपने बैंक हैं और इसके अतिरिक्त ऐसे भी बैंक हैं जिनका कि खर्च पूर्णत: या अंशत: रियासतें उठाती हैं। परंतु ये सेविंग बैंक देहात में छोटे-छोटे गांवों में स्थित हैं और मेरा यह विचार है कि कोई भी रियासत या प्रान्त देहात में सेविंग बैंक नहीं स्थापित कर सकता। डाकखाने ही इस काम को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। डाकखानों व उनकी शाखाओं के इस काम से बहुत लाभ हो रहा है। इसलिये डाकखानों के प्रबंध से सेविंग बैंकों को हटाने के उद्देश्य से जो संशोधन पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं और मूल खंड का समर्थन करता हूं।

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय (ग्वालियर): श्री अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि ''ब्राडकास्टिंग'' ''कम्यूनिकेशन्स'' के अंदर ही आता है। ब्राडकास्टिंग भी अपने विचारों को कम्यूनिकेट करने का, व्यक्त करने का, एक साधन है। इसलिये यह भी एक फेडरल सब्जेक्ट रहना चाहिये और इसके बारे में जो आपत्ति उठाई गई है वह ठीक नहीं है। सन्तानम् साहब का अमेंडमेंट मुनासिब है इस विषय में और ब्राडकास्टिंग फैडरल सब्जेक्ट रहना चाहिये। बहुत-सी रियासतें आज यह कहती हैं कि यह अधिकार रियासतों को रहना चाहिये। इस विषय में मेरा यह कहना है कि जब हम सब मिलकर फैडरेशन बना रहे हैं और इस पर ऐसा अमेंडमेंट

आता है तो कहा जाता है कि यह रियासतों के अधिकार हैं, यह सुरक्षित रहने चाहियें और इस विषय में फैडरल दखल न दें। मैं समझता हूं कि यह स्पिरिट अच्छी नहीं है। आज हम रियासतों और प्राविन्सेज को मिलाकर ही एक फैडरेशन बना रहे हैं। इसलिये यह आपने जो कुछ अधिकार थोड़े से सीमित विषयों में दिये हैं वह पूरी तरह से फैडरेशन को देने चाहियें। इसी में पोस्ट आफिस और टेलीग्राफ्स आते हैं जो हमें जरूर फैडरेशन को देने चाहियें।

मेरा अनुभव है कि छोटी रियासतों में जहां सिर्फ रियासतों के डाकखाने होते हैं, वह लोगों की आजादी के अधिकारों में बहुत-सी बाधायें डालते हैं। वहां अक्सर रियासतें पोस्ट आफिस से मिलकर सी॰आई॰डी॰ के द्वारा और कई प्रकार से ऐसी तरकीबें करती हैं जिनसे जो लोग न्यूज भेजते हैं उन्हें सप्रेस किया जाता है और लोगों के खुफिया लेटर्स को बार-बार डिटेन कर लेते हैं और उनके खिलाफ मुकदमे वगैरह चलाने के काम में लाते हैं। इसलिये पोस्ट आफिस वगैरह को इस विषय में कुछ ज्यादा स्वाधीन होना चाहिये और रियासतों को इस विषय में कम से कम अधिकार दिये जायें ताकि जो जनता की सेवा पोस्ट आफिस द्वारा हो सकती है वह समुचित रूप से हो सके। यह फैडरल सब्जेक्ट होने से ही रियासतों की इन्ट्रीग्स और बदइंतजामी से बच सकते हैं।

इसलिये यह पूरा विषय जो है वह पूरा का पूरा मि॰ सन्तानम् के संशोधन के साथ होना चाहिये।

***श्री ए॰पी॰ पट्टानी:** अध्यक्ष महोदय, अंत में बोलने वाले सदस्य महोदय ने उन रियासतों के संबंध में, जो जैसा कि मैं रियासतों के एक सदस्य की हैसियत से कह चुका हूं, हर प्रकार सहयोग करना चाहती हैं, जिन बातों को कहा उन्हें मैं नहीं समझ पाया हूं। उन्होंने रियासतों के किस कुचक्र का उल्लेख किया है। हम आपसे कह रहे हैं कि संघ के लिये जो यातायात आवश्यक हों उन्हें आप ले लीजिये। हम तो इसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन यातायात के साधनों पर रियासतों या प्रान्तों का अधिकार है उनका नियमन केवल केन्द्र ही करे। इसमें क्या कुचक्र है? श्रीमान्, इसे मैं नहीं समझ पाया हूं और मेरी यह इच्छा है कि माननीय सदस्य महोदय इसका स्पष्टीकरण करें।

***श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय:** बात यह है कि जिस कुचक्र का मैंने जिक्र किया वह आजकल के मामलों के बारे में नहीं है। परंतु कुछ डाकखानों में कुछ चिट्ठियों को रोक दिया गया और रियासतों ने कुछ अन्य बातें भी कीं। मेरा मतलब इन्हीं बातों से था और आजकल की स्थिति से नहीं था।

चौधरी निहाल सिंह तक्षक (पंजाबी रियासतों का समूह): अध्यक्ष महोदय, श्री महेश्वरी के संशोधन के आधे भाग का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं तथा देशी रियासत का नागरिक होने के नाते मुझे भी उन देशी रियासतों का जहां डाक का विभाग है, विशेषकर उन छोटी रियासतों में जहां डाक का अपना प्रबंध है, कुछ अनुभव है। वहां की रियासती प्रजा को बहुत कठिनाइयां हैं। वह रियासतों की आय का एक साधन समझे जाते हैं। इसलिये उनका यह प्रयत्न होता है कि जहां तक संभव हो डाकखानों की संख्या और डाक पहुंचाने वालों की संख्या कम हो। जहां प्रान्त के डाकखानों में एक ग्राम में सप्ताह में दो बार गश्त होती है, वहां देशी राज्यों में डाकखानों में डाक पहुंचाने वालों की कमी के कारण वह एक सप्ताह के बजाय एक महीने में भी दो बार मुश्किल से पहुंचते हैं।

एक विशेष कठिनाई दूसरी यह भी है कि वहां जो मनीआर्डर भेजे जाते हैं, उसका एक्सचेंज होता है और उसके लिये पहले अंग्रेजी भारत के डाकघर में जाकर एक्सचेंज होता है। इससे बड़ा विलंब होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी रियासत के खजाने में पैसा कम होने के कारण मनीआर्डर बहुत दिनों के बाद आते हैं और महीनों तक ढिलाई में पड़े रहते हैं।

एक तीसरी कठिनाई यह है कि ऐसी रियासतों में जहां उनका अपना डाक-विभाग है और उन्हें पेंशन भारतीय प्रान्तों के डाकखानों से मिलती है, उसके लिये उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। उन विधवा स्त्रियों को मैंने कई बार देखा है कि वह पेंशन लेने के लिये कितना कष्ट उठाकर जाती हैं।

दूसरी यह बात कि जो विषय है उसमें डाकघर है, लेकिन उसमें जो सेविंग्स बैंक दिया गया है वह उससे अलग नहीं किया जा सकता। देशी रियासतों में जहां अपना डाक-विभाग है, उस जगह उन्हें यह सेविंग्स बैंक की सुविधा नहीं मिलती। इसलिये जो शब्द हैं ''आर ऐक्वायर्ड बाई दि फैडरेशन'' यह जब तक संघ हस्तांतरित न कर लें, यह डिलीट न हो जाये। बल्कि इस प्रकार करना चाहिये। मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि जैसे ही विधान काम करने लगे, उस वक्त शुरू से ही यह चीज हो कि डाक-विभाग को संघ को हस्तांतरित कर लेना चाहिये, ताकि रियासत की प्रजा की कठिनाई दूर हो।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान्, इस मद में जो पहला संशोधन पेश किया गया है वह श्री सन्तानम् का है। मेरे विचार से उन्होंने उसे

इसलिये पेश किया कि सूची में उससे पहले दिया हुआ संशोधन पेश नहीं किया गया था। मैं इसी समय यह कह देना चाहता हूं कि यद्यपि श्री वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य ने उस संशोधन को पेश नहीं किया परंतु बहुत कुछ उसी आशय का एक संशोधन श्री पट्टानी ने पेश किया है और यदि यह सभा मुझे इसकी आज्ञा देगी तो मैं श्री पट्टानी के संशोधन का आशय श्री वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य के उस संशोधन की भाषा में स्वीकार करना चाहता हूं जिसे कि उन्होने पेश नहीं किया है। मैं श्री वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य के मसविदे में केवल यह शाब्दिक परिवर्तन करूंगा कि मैं 'संघ' शब्द की जगह 'राज्यसंघ' शब्द रख दूंगा। वह इस प्रकार हो जायेगा: ''राज्यसंघ के टेलीफोन, बेतार के तार, ब्राडकास्टिंग के साधन और यातायात के साधन और यातायात के इसी प्रकार के अन्य साधनों का नियमन और उन पर नियंत्रण।'' इसमें श्री सन्तानम् के संशोधन का आशय आ जाता है, इसलिये मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा।

***श्री के॰ संतानम्:** मैं उसे वापस लेता हूं।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** अब श्रीमान्, इस मद की शब्दावली के संबंध में श्री माधवराव ने जो बातें कहीं उन पर मैं विचार करूंगा। मैं उनके सूचनार्थ यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसी रियासत है जिसके और सर्वोच्च सत्ता के बीच तार के संबंध में समझौते हुये थे। मेरा मतलब काश्मीर से है। काश्मीर में भारत के तार के प्रबंध के अतिरिक्त रियासत का अपना तार का प्रबंध भी है और इन दो प्रबंधों के पारस्परिक संबंध और इनके एकीकरण के बारे में उस रियासत और भारत-सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। उन्होंने श्रीमान् सम्राट के प्रतिनिधि के दिये हुये उन आश्वासनों और नीति-संबंधी वक्तव्यों का भी उल्लेख किया जो उन्होंने डाकखानों, टेलीफोनों, डाकखानों के सेविंग बैंक और बेतार के तार के संबंध में दिये थे। इस समय मैं सर्वोच्च सत्ता की तरफ से दिये हुये इन नीति-संबंधी वक्तव्यों पर विचार करना नहीं चाहता क्योंकि वह सत्ता अब समाप्त हो चुकी है। मैं केवल यह कहूंगा कि इस प्रकार के आश्वासन चिरस्थायी नहीं समझे गये थे। यह संभव है कि यदि सर्वोच्च सत्ता इस देश में बनी भी रहती तो यह प्रबंध रियासत और सर्वोच्च सत्ता के बीच समझौते से बदल भी दिया जाता। यह आगे चलकर भी हो सकेगा। इन मामलों के संबंध में श्री माधवराव को थोड़े-से शब्दों में उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। मैं उनका ध्यान संघ में सम्मिलित होने के उस आदेश-पत्र के आदेशों की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें इस उपनिवेश में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों ने हस्ताक्षर किये हैं। यातायात

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

के अधीन, जिसके संबंध में वे राजी हो गये हैं, एक मद यह भी है कि संघीय धारा-सभा को निम्नलिखित के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होना चाहिये:

> ''डाक और तार, जिनमें टेलीफोन, बेतार के तार, ब्राडकास्टिंग के साधन और यातायात के इसी प्रकार के अन्य साधन सम्मिलित हैं।''

यहां किसी प्रकार की सीमाबंदी नहीं है। वास्तव में विस्तृत आशय की शब्दावली की यह मद अन्य प्रकार के संबंध से सीमित हो जाती है। इन मामलों के संबंध में मैं समझौतों का जिक्र कर रहा था। भारत-सरकार और रियासतों के बीच जो अस्थायी रूप से अविचल समझौता हुआ है उसमें समझौतों के संबंध में जो खंड है उसकी शब्दावली निम्न प्रकार है:

> ''जब तक कि इस संबंध में नये समझौते न हों सम्राट और किसी भारतीय रियासत के बीच परस्पर के मामलों के संबंध में किये हुये सभी वर्तमान समझौते और शासनकार्य-संबंधी व्यवस्था, जहां तक उचित होगा, उसी प्रकार रहेगी जैसे कि वह भारतीय उपनिवेश या उसके किसी हिस्से, जैसी भी दशा हो, और किसी रियासत के बीच समझौते से हुई हो।''

इसलिये जो कोई आश्वासन दिये गये हैं या समझौते किये गये हैं वे उस समय तक उसी प्रकार रहेंगे जब तक कि नया प्रबंध न हो जाये। अस्थायी रूप से किये हुये अविचल समझौते के साथ संबंधित परिशिष्ट के अनुसार इस प्रकार के समझौते डाक, तार और टेलीफोनों पर लागू हो सकते हैं। इसलिये संघीय अधिकारों की कमेटी की रिपोर्ट की संघीय सूची की इस मद की शब्दावली के संबंध में कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। वास्तव में यह नये विधान में संघीय धारा-सभा के अधिकारों को सीमित कर देती है, परंतु संघ में सम्मिलित होने के आदेश-पत्र में जिसमें कि आपने हस्ताक्षर किये हैं यह व्यवस्था नहीं है, इससे इस विधान के प्रयोग में आते समय किसी रियासत के जो अधिकार हों उनकी भी रक्षा हो जाती है। जब तक कि संघ और संबंधित प्रदेश के बीच उन अधिकारों में परिवर्तन करने या उन्हें समाप्त करने के बारे में समझौता न हो जाये वे उसी प्रकार सुरक्षित रहेंगे। इससे वे बातें साफ हो जाती हैं जिनका स्पष्टीकरण श्री माधवराव चाहते थे।

इस मद का एक भाग ऐसा है अर्थात् मद 32 का खंड (क) जिस पर मेरे मित्र श्री हिम्मतसिंह ने संशोधन पेश करके आपत्ति की है। उनका यह विचार है कि इस खंड के ''या संघ जिन पर अधिकार कर ले'' शब्दों से उनको केन्द्र के संबंध में जो भय है उसकी पुष्टि हो जाती है। अब मैं सभा के सामने यह रखना चाहता हूं: केन्द्र और प्रदेशों के बीच अधिकारों का जो विभाजन किया गया है उसके अनुसार डाक और तार पर संघ का ही नियंत्रण होना चाहिये। हम इसे स्वीकार करते हैं कि संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतों में जो कोई प्रबंध हो वह नये प्रबंध के होने तक उसी प्रकार रहे। अब यदि भविष्य में किसी समय संघ यह तय करे कि सारे देश के हित के लिये यह आवश्यक है कि किसी विशेष रियासत के डाक के प्रबंध में सुधार किया जाये और चूंकि यह आशा नहीं की जा सकती कि वह रियासत इस प्रकार सुधार करेगी, इसलिये यह आवश्यक है कि संघ उस रियासत के डाक और तार के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले; तो श्रीमान्, मेरे विचार से देश के व्यापक हितों के ध्यान से संघ को उस रियासत के किसी अधिकार को अपने हाथ में ले लेने का अधिकार होना चाहिये। जब हम 'या संघ जिन पर अधिकार कर ले' शब्दों को कहते हैं तो इनका अर्थ किसी संघीय विषय से संबंधित अधिकारों से है। यदि किसी देश का कोई स्थायी हित हो तो इस पर अधिकार करने पर उसकी क्षतिपूर्ति उचित रूप से कर दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति जो संघीय व्यवस्था का समर्थक हो, केन्द्र को इस प्रकार का अधिकार देने के संबंध में आपत्ति नहीं कर सकता।

अब मैं श्रीमान् श्री हिम्मतसिंह के पेश किये हुये संशोधन को उठाता हूं। वे चाहते हैं कि डाकखानों के सेविंग बैंक केवल प्रान्तों में हों। इनसे जो लाभ होता है उसकी ओर यदि ध्यान न भी दिया जाये तो इससे वर्तमान व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। सैकड़ों ऐसी रियासतें हैं जिनमें हजारों डाकखाने इस समय इस काम को कर रहे हैं। क्या इस सुझाव का अर्थ यह है कि किसी भी भारतीय रियासत में संघ को इस प्रकार के प्रबंध से कोई संबंध न होना चाहिये? हमें केवल इसकी व्यवस्था करनी चाहिये कि यदि कोई रियासत इसका प्रमाण दे कि इसकी आवश्यकता है कि वह स्वयं ऐसे सेविंग बैंक चलाये जिनका डाकखानों से कोई संबंध न हो तो भारत-सरकार और उसके बीच इस संबंध में बातचीत होगी कि शासन-प्रबंध की दृष्टि से आया डाकखानों को इस आशय का आदेश दिया जाये कि वे सेविंग बैंकों का काम न करें। वह संभव है और मैं इसका विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई रियासत इसका प्रमाण दे तो इस उपनिवेश की

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

भावी सरकार उस पर विचार करेगी। परंतु सभी भारतीय रियासतों के डाकखानों के सेविंग बैंकों को संघ के अधिकार से हटाने का अर्थ यह होगा कि भारतीय रियासतों की आर्थिक स्थिति अव्यवस्थित हो जायेगी और मैं तो अपनी तरफ से सभा से यह सिफारिश न करूंगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

इसके अतिरिक्त श्रीमान् प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन है जो इस प्रकार है:

''मद 32 के पैरा (ख) की जगह निम्नलिखित रखा जाये:

(ख) टेलीफोन, बेतार का तार, ब्राडकास्टिंग और इसी प्रकार के अन्य यातायात, यदि इन पर संघ का इस समय तक अधिकार न हो तो इन पर अधिकार कर लेना।''

श्रीमान्, मैंने जो कुछ कहा है उसके फलस्वरूप जिस संशोधित रूप में यह मद रखी जायेगी उसमें प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन का आशय आ जायेगा।

मुझे अब केवल मि॰ नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन ही की ओर संकेत करना है। उनका यह कहना ठीक ही है कि 'इसी के समान अन्य प्रकार के यातायात के साधन' शब्दों से, जो अब खंड (ख) में सम्मिलित हैं केवल टेलीफोन, बेतार का तार, ब्राडकास्टिंग जैसे यातायात के साधन समझे जायेंगे। वे यह चाहते हैं कि केन्द्र को डाकखाने और तार जैसे यातायात के साधनों का नियमन करने का भी अधिकार होना चाहिये। इस संबंध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मद (क) में डाकखाने और तार संघीय विषय में सम्मिलित हैं। आप यह देखेंगे कि किसी प्रकार के डाकखानों और तार के संबंध में, जोकि कुछ भारतीय रियासतों के विशेष प्रबंध में रखे गये हैं, केन्द्र को, संघीय पार्लियामेंट को उनके नियमन और नियंत्रण के लिये कानून बनाने का अधिकार होगा।

उन क्षेत्रों में जहां इस प्रकार का विशेष प्रबंध न हो संघीय पार्लियामेंट को किन्हीं व्यक्तियों के बीच में या व्यक्तियों के समूहों के बीच में किसी अन्य प्रकार के डाक के यातायात के साधनों की स्थापना का निषेध करने का एकाधिकार प्राप्त होगा। वास्तव में मेरा यह विश्वास है कि डाकखानों के वर्तमान कानून में

एक धारा इस प्रकार है कि नियमित रूप से स्थापित डाक के साधन की उपेक्षा करके किसी क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच चिट्ठी भेजने का निजी प्रबंध करना अपराध है। डाकखानों के एक्ट के अनुसार यह एक अपराध है। मुझे विश्वास है कि वह आदेश रहने दिया जायेगा। इस समय कोई व्यक्ति सरकारी तार-घर के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से तार नहीं भेज सकता। इसको ध्यान में रखते हुये मेरे विचार से उन्हें अपनी मद को जोड़ने के लिये जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमान्, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं श्री पट्टानी के संशोधन को श्री वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य की भाषा में स्वीकार करता हूं और अन्य सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर मतदान लूंगा और मेरे विचार से अच्छा तो यह होगा कि मैं प्रत्येक मद के एक-एक पैराग्राफ को उठाऊं।

पहले श्री माधवराव का संशोधन है:

''मद 32 के पैराग्राफ (क) में 'डाक और तार' शब्दों के बाद 'टेलीफोन, डाकखाने के सेविंग बैंक' शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** अब श्री हिम्मतसिंह का संशोधन है:

''मद 32 के पैरा (क) के 'या संघ द्वारा अपने अधिकार में लिये गये हों' शब्द निकाल दिये जायें।''

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं खंड (ख) में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनको उठाऊंगा।

***श्री के॰ संतानम्:** खंड (क) में मैंने 'रियासती प्रदेश' शब्दों के बारे में एक संशोधन पेश किया है। इन शब्दों से कुछ भ्रम हो सकता है।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान्, इस वाक्य की भाषा के शोधन का प्रश्न मसविदा तैयार करने वालों पर छोड़ा जा सकता है।

***श्री के॰ संतानम्:** क्या इनका मतलब रियासतों से है?

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** जी, हां।

***अध्यक्ष:** मद नं॰ 32 (ख) में पहला संशोधन श्री पट्टानी का श्री वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य की भाषा में है।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** तब क्या मैं यह समझूं कि श्री संतानम् ने अपना संशोधन वापस ले लिया है?

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब हम श्री माधवराव का संशोधन उठाते हैं।

***श्री एन॰ माधवराव:** इस संशोधन का प्रश्न परिणामस्वरूप ही उठता है। वह और 32 (ख) में जो संशोधन मैंने पेश किया है वह भी गिर जाते हैं।

***अध्यक्ष:** अब हम श्री हिम्मतसिंह के संशोधन को उठाते हैं।

''मद 32 के पैरा (ग) के अंत में 'प्रान्त में' शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से अब केवल एक संशोधन रह गया है और उसे मि॰ नजीरुद्दीन अहमद ने पेश किया है:

''मद 32 में पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ दिया जाये:

'(ख ख) इसी के समान अन्य प्रकार के यातायात के साधन।' ''

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** तब मैं इस मद को उसके संशोधित रूप में सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखता हूं।

मद नं॰ 32 उसके संशोधित रूप में स्वीकार कर ली गई।

मद 33

***अध्यक्षः** अब हम मद 33 को उठाते हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं किः

''मद नं॰ 33 में जिन कोष्ठकों में 'मामूली रेलों से अन्य' शब्द रखे गये हैं वे निकाल दिये जायें।''

यह संशोधन केवल मसविदा ठीक करने के लिये पेश किया गया है। यह मद भारत-सरकार के कानून की सूची नं॰ 1 की मद 20 के अनुरूप है। यह बिल्कुल उसके समान है सिवाय इसके कि यहां दो कोष्ठक रख दिये गये हैं जो कि मूल कानून में वर्तमान नहीं हैं। मेरी राय से ये कोष्ठक अनावश्यक हैं और इनके हटाने से यह मद पढ़ने में अच्छी लगेगी। वास्तव में मुझे तो ये कोष्ठक खटकते हैं और पाठक के लिये रुकावट पैदा करते हैं।

मेरे संशोधन का उद्देश्य केवल मसविदा ठीक करना है और सभा के विचारार्थ मैं उसे पेश करता हूं।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** मैं इससे सहमत हूं कि इस प्रकार की सूची में कोष्ठक बहुत भद्दे दिखाई देते हैं और मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। परंतु यदि मि॰ नजीरुद्दीन इसे अनुचित न समझें तो मैं उन शब्दों के पहले और अंत में एक-एक अर्ध विराम रखना चाहूंगा। (*हंसी*)

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं इससे सहमत हूं।

***अध्यक्षः** इस मद में और कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है और मि॰ नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन श्री गोपालस्वामी आयंगर ने स्वीकार कर लिया है।

मैं इस संशोधन पर मतदान लेता हूं।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** अब मैं इस मद पर, इसके संशोधित रूप में, मतदान लेता हूं।

मद संशोधित रूप में स्वीकार कर ली गई।

मद 34

***श्री के॰ सन्तानम्:** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि मद 34 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

''तिजारती जहाजरानी के लिये शिक्षा-संबंधी तथा काम सिखाने की व्यवस्था और प्रदेशों व अन्य प्रतिष्ठानों की इस प्रकार की शिक्षा और काम सिखाने के कार्य का नियमन।''

तिजारती जहाजरानी के इंजीनियरों, चालकों और प्रबंधकर्ता अफसरों की आवश्यक योग्यता के केन्द्रीयकरण के संबंध में विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक है कि सभी श्रेणियों की शिक्षा पर तथा शिक्षा-संबंधी-व्यवस्था पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये, परंतु यदि विश्वविद्यालय या कोई अन्य संस्थाएं इस प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करें तो उसका निषेध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इस प्रकार की शिक्षा और काम सिखाने का कार्य उसी कोटि का होना चाहिये जो कि केन्द्र द्वारा निश्चित किया जाये। जो संशोधन मैं पेश कर रहा हूं उसमें केन्द्र के प्रबंध तथा केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालयों तथा रियासतों के प्रबंध के नियमन की व्यवस्था है।

(श्री जी॰एल॰ मेहता और प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान्, मैं श्री सन्तानम् के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्ष:** श्री सन्तानम् का पेश किया हुआ संशोधन श्री गोपालस्वामी आयंगर ने स्वीकार कर लिया है। वह इस प्रकार है:

''मद 34 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

'तिजारती जहाजरानी के लिये शिक्षा-संबंधी तथा काम सिखाने की व्यवस्था और प्रदेशों व अन्य प्रतिष्ठानों की इस प्रकार की शिक्षा और काम सिखाने के कार्य का नियमन'।''

मैं अब इस संशोधन पर मतदान लेता हूं।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि मद 34 उसके संशोधित रूप में स्वीकार कर ली जाये।

मद संशोधित रूप में स्वीकार कर ली गई।

मद 35

***अध्यक्ष:** मद 35 में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

मैं उस पर मतदान लेता हूं।

मद स्वीकार कर ली गई।

मद 36

***श्री एच०वी० पातस्कर:** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि मद 36 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

''वहां बंदरगाह के अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार।''

***श्री आर०के० सिधवा** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): श्रीमान्, जब तक सन् 1935 ई० का भारत-सरकार का कानून लागू नहीं हुआ था भारत के सभी बड़े-बड़े बंदरगाह प्रान्तीय सरकारों के नियंत्रण में थे, परंतु उसके पहले कई बंदरगाहों के धरोहरों का प्रबंध करने वाली समितियों के लिये अधिक विस्तृत निर्वाचन-प्रणाली की व्यवस्था की गई थी और इस प्रकार गैर सरकारी प्रतिनिधियों का पहले से कहीं अधिक बहुमत हो गया। परंतु भारत-सरकार ने, जो उस समय एक नौकरशाही सरकार थी और जिसका उन बंदरगाहों के धरोहरों पर नियंत्रण था, उन अधिकारों को प्रांतीय सरकारों के हाथ से छीन लिया। मैं तो यह चाहता हूं कि इन बड़े-बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण रखने का भार केन्द्रीय सरकार पर फिर से न डाला जाये। फिर भी यदि यह समझा जाये कि वर्तमान परिस्थिति में सभी बड़े-बड़े बंदरगाहों के लिये एक ही कानून हो तो मैं अपने इस संशोधन पर जोर नहीं देता कि इस मद को इस सूची से निकाल कर सूची नं० 2 में रख दिया जाये।

***श्री एˆपीˆ पट्टानी:** अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे केवल यह राय देनी है कि इस मद के अंत में निम्नलिखित शर्तिया आदेश जोड़ दिया जाये:

''परंतु शर्त यह है कि संघ में सम्मिलित तटवर्ती रियासतों के बंदरगाहों के बारे में इस प्रकार की घोषणा और सीमाबन्दी संबंधित रियासत से सलाह लेकर की जायेगी।''

मैंने यह सुझाव केवल इसलिये रखा है कि पहले केन्द्रीय सरकार ने रियासतों से बिना सलाह लिये हुये स्वेच्छाचारिता से कार्य करने की मनोवृत्ति का परिचय दिया है। चूंकि हम संघ में सम्मिलित हो रहे हैं इसलिये हमारे बंदरगाहों की एकाएक सीमाबंदी करने के पहले हमसे राय ली जानी चाहिये और यही किसी छोटे या बड़े बंदरगाह के संबंध में घोषणा करने में भी किया जाना चाहिये। श्रीमान्, मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि मद 36 की जगह निम्नलिखित रखा जाये:

''36–बड़े-बड़े बंदरगाह अर्थात् इन बंदरगाहों के संबंध में घोषणा या इनकी सीमाबंदी और बंदरगाहों के अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार।''

श्रीमान्, इस संशोधन के शब्द भारत-सरकार के कानून की सूची 1 की मद 22 के शब्दों के ही बिल्कुल समान हैं। उसी मद से लेकर वर्तमान मद 36 रखी गई है। इसका आशय वही है। केवल मसविदे में कुछ अंतर है। इस संशोधन से इस विषय के संबंध में पूर्ण अधिकार मिल जाता है अर्थात् इस संबंध में कि किसी बंदरगाह को एक बड़ा बंदरगाह घोषित किया जाये। इस संशोधन में संघ को जो अधिकार प्राप्त होगा उस पर जोर दिया गया है, परंतु विचाराधीन मद में घोषणा और इस मद के अधीन जो कार्यवाही की जायेगी उस पर जोर दिया गया है। मेरे विचार से इस संशोधन से हमारे उद्देश्य की पूर्ति अधिक अच्छी प्रकार होगी। परंतु यह संशोधन केवल मसविदा ठीक करने के लिये है और यह मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के विचारार्थ पेश किया जाता है।

***श्री लक्ष्मीनारायण साहू** (उड़ीसा: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस मद से पूर्णतया सहमत हूं, परंतु साथ ही मैं यह चाहता हूं कि प्रत्येक तटवर्ती प्रान्त में

कम से कम एक नया बड़ा बंदरगाह स्थापित करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा संशोधन इस प्रकार है:

मद 36 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

''और प्रत्येक तटवर्ती प्रान्त में कम से कम एक नये बड़े बंदरगाह की स्थापना।''

अपने प्रान्त के लिये चिंतित होकर ही मैंने इस संशोधन को पेश किया है। जिस रूप में इस समय उड़ीसा का प्रान्त है उसकी दशा बड़ी दयनीय है। कभी वह एक बड़ा सम्पन्न प्रांत था और उसकी वर्तमान दरिद्रता का कारण यही है कि उसका कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है। इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार का एक खंड रखा जाये ताकि हम तटवर्ती प्रांतों के लोगों के पास कम से कम एक बड़ा बंदरगाह हो जाये। इसके विपरीत श्री सिधवा यह चाहते हैं कि यह विषय संघीय सूची में नहीं होना चाहिये। परंतु मैं इसका विरोध करता हूं और यह राय प्रकट करता हूं कि जब तक इस विषय को केन्द्र के अधीन न रखा जाये तब तक प्रान्तों के लिये यह संभव नहीं है कि वे एक नये बंदरगाह की स्थापना करें। मेरे मित्र मि॰ नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन से मेरे संशोधन का अंशत: समर्थन होता है और इसलिये मुझे आशा है कि मेरा संशोधन भी स्वीकार कर लिया जायेगा। उड़ीसा का प्रान्त जो कभी एक सम्पन्न प्रदेश था, इतना दरिद्र हो गया है कि यह सारे संघ के लिये एक लज्जा की बात है और जब तक वह उन्नत होकर सभी प्रान्तों के समान न हो जायेगा, संघ को बराबर लज्जित होना पड़ेगा। जब आप एक नई व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं तो सभी प्रान्तों को समान रूप देना होगा। इसीलिये मैं इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहा हूं कि हमारे यहां एक बड़ा बंदरगाह होना चाहिये, ताकि व्यापार और व्यवसाय की उन्नति हो सके। हमारे पास अपने प्रांत को सम्पन्न बनाने के लिये कोई साधन होना चाहिये। एक बार उड़ीसा में नहर निकालने की नीति अपनाई थी परंतु वह असफल रही और उसके कारण उड़ीसा निवासियों को असुविधा ही नहीं हुई बल्कि उन्हें बहुत खर्च भी उठाना पड़ा। रेलें चलाई गयीं और वह योजना भी बहुत कुछ असफल ही रही, क्योंकि उड़ीसा के पास बहुत साधन नहीं हैं और तीन साल में एक बार हमारे यहां बाढ़ आ जाती है जिससे कि बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तटवर्ती प्रान्तों की सम्पन्नता उनके बंदरगाहों पर ही निर्भर है। प्राचीन काल में उड़ीसा अपने बंदरगाहों के कारण सम्पन्न था। लगभग प्रत्येक जिले में हमारा एक बंदरगाह था।

[श्री लक्ष्मीनारायण साहू]

बलासोर में पिपली और चांदबली के बंदरगाह थे और पुरी में वेलीटोला का प्रख्यात बंदरगाह था। आज ये सब बंदरगाह बेकार हैं। इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि हमारा नवीन संघ हमारी इस प्रकार सहायता करे कि हम उड़ीसा के प्रान्त में कम से कम एक बड़ा बंदरगाह स्थापित कर सकें। आंध्र प्रान्त को लीजिये, क्योंकि वह एक नया प्रांत होने जा रहा है, उसके पास विजगापट्टम का बंदरगाह होगा। परंतु हमारे प्रान्त में जिसकी स्थापना सन् 1936 ई० में हुई और जो एक तटवर्ती प्रांत है, एक भी बंदरगाह नहीं है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस संशोधन को मद 36 में स्थान दिया जाये। इसकी भाषा के संबंध में मैंने यह अनुभव किया, परंतु मुझे आशा है कि उसे मसविदा तैयार करने वाले ठीक कर लेंगे।

***श्री गगनबिहारी लालूभाई मेहता** (पश्चिमी भारतीय रियासती ग्रुप): अध्यक्ष महोदय, कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिये ही मैं इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप कर रहा हूं। जहां तक इस देश के बंदरगाहों का संबंध है, उनका यातायात से, जो कि एक केन्द्रीय विषय है, घनिष्ठ संबंध है और इसलिये वे केन्द्र के नियंत्रण में होने चाहियें और साथ ही उनकी स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण भी है। पिछले वर्ष भारत-सरकार ने एक बंदरगाहों की उन्नति की कमेटी नियुक्त की और उसने एक बहुमूल्य रिपोर्ट तैयार की। यदि इस सभा के माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को पढ़ें तो वे देखेंगे कि कमेटी ने रक्षा तथा व्यवसाय के लिये भारत के तटवर्ती प्रदेशों में बंदरगाहों के महत्त्व को समझा है और उस पर जोर दिया है। बंदरगाहों के अतिरिक्त अन्य स्थानों की रेलगाड़ियों से भी बंदरगाहों का संबंध रहता है और रेलगाड़ियां केन्द्रीय विषयों के अंतर्गत आती हैं। इसीलिये मैंने यह राय दी है कि बंदरगाहों पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये। श्री पातस्कर ने इस संशोधन की सूचना दी है कि बंदरगाहों के अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किये जाने चाहियें। मेरे विचार से यह संशोधन तर्कपूर्ण है क्योंकि जब बंदरगाहों की सीमाबंदी का विषय उसमें सम्मिलित है तो बंदरगाहों के अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकारों का विषय भी उसमें सम्मिलित किये जाने चाहियें। श्री पट्टानी ने इन शब्दों में एक संशोधन पेश किया है, ''परंतु शर्त यह है कि संघ में सम्मिलित तटवर्ती रियासतों के बंदरगाहों के बारे में इस प्रकार की घोषणा और सीमाबंदी संबंधित रियासत से सलाह लेकर की जायेगी''। श्रीमान्, मेरा विश्वास है कि यह तो किया ही जायेगा और मेरी समझ में नहीं आता कि इन शब्दों को संघीय व्यवस्था संबंधी सूची में स्थान दिया जाये या नहीं;

श्री गोपालस्वामी आयंगर ने निस्संदेह इस संबंध में प्रकाश डाल सकेंगे। मेरे विचार से यह तर्कपूर्ण ही होगा कि इस मद को संघीय व्यवस्था संबंधी सूची में सम्मिलित किया जाये। यदि हम सन् 1932 ई॰ के पहले गलती करते रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि अब भी वही गलती की जाये।

जहां तक इस सुझाव का संबंध है कि प्रत्येक प्रांत में एक बड़ा बंदरगाह होना चाहिये, उसके बारे में विस्तृत रूप से कला संबंधी जांच होने की आवश्यकता है। इसका संबंध उस प्रांत के तथा सारे देश के आर्थिक साधनों से भी है। यह ऐसा विषय है जिसके बारे में बाद को कानून बन सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि इसे विधान में या संघीय व्यवस्था संबंधी सूची में स्थान दिया जाये। यदि आप बंदरगाहों की आपस की प्रतिस्पर्धा को रोकना चाहते हैं तो इसके लिये एकीकरण और केन्द्रीय नियंत्रण की आवश्यकता है। इसलिये श्री गोपालस्वामी आयंगर ने जिन शब्दों में इस मद को रखा है, उसी प्रकार इसे संघीय सूची में स्थान देने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

***श्री एम॰ अनन्तशयनम् आयंगरः** अध्यक्ष महोदय, मैं श्री लक्ष्मीनारायण साहू की इस राय से सहमत हूं कि बंदरगाहों को स्थापित करने तथा उनकी उन्नति करने के संबंध में केन्द्र को अधिकार दिया जाना चाहिये। जहां तक बंदरगाहों की आपस की प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, यह एक केन्द्रीय विषय है और संघीय व्यवस्थापिका इसे रोकने के लिये कानून बना सकती है। जैसा कि श्री साहू ने कहा है कि जहां तक उड़ीसा का संबंध है रेलों इत्यादि में सुधार करने के लिये जो प्रयत्न किये गये वे असफल रहे और यदि वह प्रांत अन्य कोई साधन प्राप्त कर सकता है तो वह एक बड़ा बंदरगाह है, विशेषतया जब कि वहां कोई ऐसा बंदरगाह नहीं है। सन् 1935 ई॰ के कानून में और जो सूची इस समय विचाराधीन है इसमें भी उन्नति की व्यवस्था है। यदि पहले से कोई बड़ा बंदरगाह वर्तमान है तो उसे सुधारने की स्वतंत्रता है और यदि कोई बंदरगाह है तो संघीय व्यवस्थापिका सभा को इसकी स्वतंत्रता है कि वह इसे एक बड़ा बंदरगाह घोषित कर दे; परंतु संघीय सरकार को नये सिरे से एक बड़ा बंदरगाह स्थापित करने का अधिकार नहीं है। मेरे विचार से उन स्थानों में बड़े बंदरगाहों का निर्माण करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये जहां कि वे वर्तमान नहीं हैं। इसमें उन्नति का उल्लेख नहीं है। घोषणा और सीमाबंदी ये ही शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसका अर्थ है केवल बड़े बंदरगाहों के संबंध में घोषणा और उनकी सीमाबंदी। निस्संदेह इससे केन्द्र को इसका अधिकार मिल जाता है कि किसी प्रांत द्वारा उन्नत किये हुए किसी बंदरगाह को

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

वह एक बड़ा बंदरगाह घोषित करे। केन्द्र को बंदरगाहों की उन्नति के लिये प्रांतों को आर्थिक सहायता देनी चाहिये। इसलिये मैं श्री गोपालस्वामी आयंगर से यह अनुरोध करता हूं कि वे ''घोषणा और सीमाबंदी'' शब्दों के साथ ''स्थापना और उन्नति'' शब्दों को भी स्वीकार कर लें।

***श्री टी॰टी॰ कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): मैं इस संबंध में केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है, मेरे मित्र श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने कहा है कि प्रांत बंदरगाहों को उन्नत बनाते हैं और फिर केन्द्र उनको अपने हाथ में ले लेता है। मेरे प्रांत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे प्रांत में छोटे बंदरगाहों के लिये एक विशेष धनराशि अलग रखी गई है। वह 60 लाख की हो गई थी और उसमें से प्रांतीय सरकार ने 40 लाख की रकम लेकर आम आय की मद में रख दी। इसलिये हमेशा ऐसा नहीं होता कि बंदरगाहों के संबंध में प्रांत ही ठीक काम करते हैं और केन्द्र गलत कार्यवाही करता है।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** मैं श्री पातस्कर का इस आशय का संशोधन स्वीकार करता हूं कि मद 36 के अंत में ''वहां बंदरगाह के अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार'' शब्द जोड़ दिये जायें। इन शब्दों को जोड़ना ही चाहिये था और यही मि॰ नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन का भी उद्देश्य है। मि॰ नजीरुद्दीन अहमद ने वास्तव में भारत-सरकार के कानून की सूची में यह मद जिन शब्दों में है उन्हीं शब्दों को नकल कर लिया है। हमने उस मद को, कम से कम जहां तक इसके पहले भाग का संबंध है, अधिक विस्तृत कर दिया है। 'बड़े बंदरगाह' शब्दों के स्थान में हमने ये शब्द रखे हैं–''बंदरगाह जो संघीय कानून या वर्तमान भारतीय कानून द्वारा या उसके अधीन बड़े बंदरगाह घोषित किये गये हों और इसमें उनकी सीमाबंदी भी सम्मिलित है।'' मैं समझता हूं कि भारत-सरकार के कानून में यह मद जिस प्रकार है उसके समर्थन में कोई विशेष तर्कपूर्ण बात नहीं की जा सकती।

इस वाद-विवाद के सिलसिले में जो दूसरी बात कही गई है वह यह है कि कुछ प्रांतों में बड़े बंदरगाह नहीं हैं या छोटे बंदरगाहों को इतना उन्नत नहीं किया गया है कि वे बड़े बंदरगाह घोषित किये जा सकें। अब श्रीमान्, जहां तक इनका संबंध है इस बारे में पहले से ही कानून है और भविष्य में हम कानून बना सकते हैं। अपनी संघीय व्यवस्थापिका में हमें उन शर्तों को निश्चित करना होगा जिन्हें कि इसके पूर्व कि संघीय सरकार किसी बंदरगाह को कानून के अनुसार

एक बड़ा बंदरगाह घोषित करे, पूरा करना होगा। मेरे विचार से विधान में यह आदेश रखना कि प्रत्येक तटवर्ती प्रांत में कम से कम एक बड़ा बंदरगाह होना चाहिये, एक गलत कार्यवाही होगी। यह हो सकता है कि किसी प्रांत का तट ऐसा न हो कि वहां एक बड़े बंदरगाह का निर्माण किया जाये और उसे तरक्की दी जाये। जो तट इसके योग्य न हो वहां रुपया खर्च करना निरर्थक ही होगा। मुझे इसका विश्वास है कि नई व्यवस्था में यदि किसी प्रांत में एक बड़े बंदरगाह के निर्माण के लिये अनुकूल दशाएं और आवश्यक सुविधाएं होंगी तो अपने यहां उसे एक बड़ा बंदरगाह स्थापित करने का अवसर अवश्य ही प्रदान किया जायेगा। श्रीमान्, इतना काफी है कि जहां कहीं इस प्रकार के बंदरगाहों की आवश्यकता हो और जहां कहीं उनको स्थापित किया जा सके तथा उनको तरक्की दी जा सके वहां उनका निर्माण करने और उनको तरक्की देने का अधिकार हम अपने हाथ में ले लें।

एक बात मैं श्री पट्टानी के संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। वह यह व्यवस्था करता है कि संघ में सम्मिलित किसी तटवर्ती रियासत के किसी क्षेत्र को एक बड़ा बंदरगाह घोषित करने के पहले उससे इस संबंध में सलाह ली जायेगी। जैसा कि मैंने अन्य मदों के संबंध में कहा है कि इस प्रकार सलाह लेना भविष्य में एक साधारण कार्य हो जायेगा। मैं श्री पट्टानी की यह बात समझता हूं कि भूतकाल में कुछ भारतीय रियासतों के बारे में ऐसी बातें की गई जिनसे उनकी कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई जो कि वास्तव में पूरी हो जानी चाहिये थीं। मैं इसे भली-भांति समझता हूं। पहले भारतीय रियासतों का केन्द्र से कोई वैधानिक संबंध नहीं था। बड़े बंदरगाहों के संबंध में भारत सरकार निर्णय करती थी। उन रियासतों का भारत-सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं था और उन्हें सम्राट के प्रतिनिधि के विभाग के मार्फत बातचीत करनी पड़ती थी। यह इन प्रश्नों को हल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था क्योंकि उससे न तो केन्द्र को संतोष होता था और न संबंधित रियासत को। भविष्य में जो रियासतें संघ में सम्मिलित हो गई हैं वे संघ की अंग हो जायेंगी और किसी क्षेत्र को एक बड़ा बंदरगाह घोषित करने के पहले जैसे प्रांतों से सलाह ली जायेगी वैसे भारतीय रियासतों से भी सलाह ली जायेगी। यह बात भी सच है कि इन भारतीय रियासतों के केन्द्र में प्रतिनिधि होंगे और मुझे विश्वास है कि व्यवस्थापिका में भी उनके प्रतिनिधि होंगे और मुझे इसका भी विश्वास है कि शासन-प्रबंध का कार्य करने के लिये भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका रियासतों से संबंध होगा या जिनको उनका अनुभव होगा। इसलिये श्रीमान् चाहे पहले जो कुछ हुआ हो, श्री पट्टानी को इसका विश्वास

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

होना चाहिये कि यह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में भी वही हो। यदि कभी ऐसा हो तो उनके पास संघीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये साधन होंगे और वे उसे रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

***श्री ए०पी० पट्टानी:** क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं? बहुधा विभिन्न तटवर्ती रियासतों के हित एक समान नहीं होते। वर्तमान व्यवस्था के अधीन यह संभव नहीं है। तटवर्ती रियासतों के अपने-अपने हित हैं और उन्हें सरकार के सम्मुख अपना मामला रखने का अवसर मिलना चाहिये। यह संभव नहीं होगा कि सभी का प्रतिनिधित्व एक ही व्यक्ति या एक ही प्रतिनिधि करे।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर:** इसका मैं यह उत्तर देना चाहता हूं कि मेरे विचार से भविष्य में प्रत्येक ऐसी तटवर्ती रियासत का, जिसका कुछ भी महत्त्व होगा, संघीय व्यवस्थापिका में अपना प्रतिनिधित्व होगा। उन रियासतों के संबंध में जिनका इस प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से इस प्रकार हो जाता है कि अन्य रियासतों के साथ उनको संघीय व्यवस्थापिका में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, इसलिये संघ में सम्मिलित होने वाली किसी रियासत का संघीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व न होने का सवाल ही नहीं उठता।

मुझे खेद है कि श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने जो कुछ कहा उसका जिक्र नहीं कर सका। मेरे विचार से इस कानून की शब्दावली जिस प्रकार रखी गई है उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वे सब आ जाती हैं। निस्संदेह संघ को इसकी स्वतंत्रता है कि वह बंदरगाहों को बड़े बंदरगाह घोषित करे। इसका केवल यही अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको केवल एक छोटे बंदरगाह को एक बड़ा बंदरगाह घोषित करने का अधिकार दिया गया है। आप देश के किसी क्षेत्र को भी एक बड़ा बंदरगाह घोषित कर सकते हैं और उसकी उन्नति इत्यादि के लिये आवश्यक साधनों की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे विचार से इसकी शब्दावली इतनी विस्तृत है कि इसमें उनकी बात आ जाती है।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर मतदान लूंगा। मि० नजीरुद्दीन ने एक संशोधन पेश किया है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** अब मैं श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा स्वीकृत श्री पातस्कर के संशोधन पर मतदान लेता हूं।

''मद 36 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

'वहां बंदरगाह के अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार'।''

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** दूसरा संशोधन श्री पट्टानी का है।

''मद 36 के अंत में निम्नलिखित शर्त या आदेश जोड़ दिया जाये:

''परंतु शर्त यह है कि संघ में सम्मिलित तटवर्ती रियासतों के बंदरगाहों के बारे में इस प्रकार की घोषणा और सीमाबंदी संबंधित रियासत से सलाह लेकर की जायेगी'।''

***श्री ए॰पी॰ पट्टानीः** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** अब श्री लक्ष्मीनारायण साहू का संशोधन आता है। वह इस प्रकार है:

''मद 36 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

'और प्रत्येक तटवर्ती प्रांत में कम से कम एक नए बड़े बंदरगाह की स्थापना'।''

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अब मूल मद पर जैसी कि वह श्री पातस्कर के संशोधन से संशोधित हुई है, मतदान लिया जाता है।

मद 36 संशोधित रूप में स्वीकार कर ली गई।

मद 37

***अध्यक्षः** अब हम मद 37 को उठाते हैं।

(श्री के॰ संतानम् ने अपना संशोधन पेश नहीं किया।)

***श्री जी॰एल॰ मेहता** (पश्चिमी भारत की रियासतों का समूह): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि मद 37 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

''वायुयान-कला की शिक्षा तथा उसका काम सिखाने की व्यवस्था और प्रदेशों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की शिक्षा तथा इस प्रकार के काम सिखाने का नियमन।''

इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये सिफारिश करके मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। व्यापारिक जहाजी बेड़े को नौकरियों के लिये शिक्षा व काम सिखाने के बारे में श्री सन्तानम् ने जो कारण बताये थे उनकी बिना पर हमें वायुयान-कला की शिक्षा और उसके काम सिखाने पर केन्द्रीय नियंत्रण तथा एकीकरण की आवश्यकता है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि व्यापारिक जहाजी बेड़े और वायुयान बेड़े की नौकरियों के संबंध में हमें अपने साधनों का एकीकरण करना है और आरंभ में इसकी आशा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक रियासत इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित कर लेगी। हमारे यहां कला विज्ञ लोगों की कमी है और इसके अतिरिक्त आवश्यक वायुयान, सामान इत्यादि प्राप्त करने में भी हमें कठिनाई होती है। इसलिये आरंभ में इसकी आवश्यकता होगी कि कोई केन्द्रीय संस्था हो। परंतु यदि प्रदेश इस प्रकार की संस्थाएं खोलना चाहें तो उन्हें रोकने की कोई आवश्यकता न होगी। केवल शर्त यह होनी चाहिये कि एक ही कोटि की शिक्षा दी जाये और एक सी कोटि का काम सिखाया जाये, तथा एक ही कोटि की योग्यता निर्धारित की जाये। श्रीमान् मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

(श्री जी॰एल॰ मेहता ने अपना दूसरा संशोधन पेश नहीं किया।)

(प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना ने अपना संशोधन-सूची 8 की मद 5 पेश नहीं किया।)

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह पेश करना चाहता हूं कि मद 37 में कोलन की जगह सेमीकोलन रख दिया जाये और कौमा की जगह सेमीकोलन रख दिया जाये (*हंसी*)। श्रीमान् मैं देखता हूं कि मेरे इस संशोधन से सभा का कुछ मनोरंजन हो गया है परंतु उसका एक गंभीर अंग भी है। वास्तव में मद 37 में तीन भिन्न-भिन्न विषयों का उल्लेख है। पहला वायुयान और वायुयान-संचालन का है। दूसरा हवाई अड्डों का विषय है और तीसरा वायुयान-यात्रा

के संबंध में नियमन और संगठन का विषय है। मेरी राय में इन तीन स्पष्टतया भिन्न विषयों को सेमीकोलन लगाकर अलग-अलग कर देना चाहिये। इस प्रकार की मदों का मसविदा तैयार करने में हम पहले भी ऐसा ही करते आये हैं। वास्तव में इन तीन भिन्न उपमदों के आगे एक ही प्रकार के विराम लगाकर अलग कर देना चाहिये। यहां पहली उपमद और दूसरी उपमद के बीच में एक कोलन है। पाठक को एकाएक रुक जाना पड़ता है। यह बहुत-कुछ पूर्ण विराम का काम करता है। दूसरी और तीसरी उपमद के बीच में एक कौमा है। पाठक को जल्दी से एक विषय के बाद दूसरा विषय पढ़ना पड़ता है। मैंने इस मद को भारत-सरकार के कानून की सूची 1 की मद 24 से, जिसके यह अनुरूप है, बड़ी सावधानी से मिलाया है। वहां विराम उसी प्रकार हैं जैसे कि मैंने सुझाये हैं। मेरे विचार से यहां जान-बूझकर भिन्न प्रकार के विराम नहीं रखे गये हैं; परंतु भारत-सरकार के कानून और इस मद में यह थोड़ा-सा अंतर शायद दफ्तर की गलती से आ गया है। यह संशोधन केवल मसविदा ठीक करने के लिये रखा गया है और मैं इसे श्री गोपालस्वामी आयंगर के विचारार्थ पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** श्री संतानम् आपके नाम से एक दूसरा संशोधन भी है।

***श्री के॰ संतानम्ः** श्रीमान्, मैं उसे पेश नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** हमारे सामने अब दो संशोधन हैं। क्या कोई सज्जन उनके बारे में बोलना चाहते हैं?

***श्री एम॰ अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, जहां तक काम सिखाने के बारे में श्री मेहता के संशोधन का संबंध है मुझे उससे कुछ आपत्ति नहीं है। जो अधिकार दिये गये हैं उनकी वह केवल विस्तृत व्याख्या करता है। आप जानते हैं कि आप इसी पर जोर दे रहे हैं कि वायुयान-चालक या चालक विशेष योग्यता रखें और स्वेच्छा से आयें। इसलिये वायुयान-कला और समुद्री-कला की शिक्षा के स्कूलों को खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कानून में ही इसे स्थान देकर यह समस्या हल हो सकती है कि नाविकों, जहाज चलाने वालों या वायुयान-चालकों के लिये अमुक योग्यता आवश्यक है। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है परंतु इसे सम्मिलित करने से भी कोई हानि नहीं होती। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

इस अवसर पर एक मौलिक बात की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक थल-मार्गों का संबंध है ये दो प्रकार के हैं, अर्थात् राष्ट्रीय थलमार्ग और प्रांतीय थलमार्ग। जहां तक रेलों का संबंध है, रियासती रेलें, अखिल भारतीय रेलें और छोटी रेलें हैं। इसी प्रकार जलमार्गों के संबंध में भूमि के जल-मार्ग हैं और ऐसे जल-मार्ग हैं जो संघीय जल-मार्ग घोषित किये गये हैं। आकाश मार्गों के संबंध में मुझे यह कहना है कि इन्हें केन्द्र के लिये सुरक्षित कर देना चाहिये। इन मार्गों की शाखाओं को प्रांतों के लिये छोड़ा जा सकता है और वे उन्हें तरक्की दे सकते हैं, क्योंकि इन मार्गों में यात्रा को वे केन्द्र से अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं। मैं किसी संशोधन का विरोध नहीं कर रहा हूं और नियमित रूप से कोई संशोधन भी पेश नहीं कर रहा हूं परंतु मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर यह सभा इसकी ओर ध्यान दे कि जब कभी संघीय व्यवस्थापिका इस संबंध में कोई कानून बनाये तो उसे थलयात्रा के बोर्डों के समान आकाश-यात्रा के प्रांतीय बोर्डों की भी व्यवस्था करनी चाहिये, ताकि प्रांतों में आकाश-यात्रा का नियमन तथा विस्तार हो सके और नये मार्ग खोले जा सकें, जो मुख्य मार्गों के सहायक हों या एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच में आकाश-मार्ग स्थापित किये जा सकें।

एक खतरा भी है। यद्यपि मैं केन्द्रीभूत पूंजी के सभी तरफ फैलाये जाने के विरोध में नहीं हूं और वास्तव में मैं उसका स्वागत करता हूं, परंतु मैं देखता हूं कि इससे देश का धन कुछ ही लोगों के हाथ में आ जायेगा। केन्द्र यह कर सकता है कि वह उन्हीं लोगों को हवाई जहाज का बेड़ा सौंप दे और वे गांवों में भी जा सकते हैं। इससे उन थोड़े-से लोगों का नुकसान हो सकता है जो प्रांतों में कुछ रुपया कमाने के लिये हवाई जहाजों की कंपनियां चलाना चाहें। परंतु इससे प्रांतों की सम्पन्नता बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा न होने देने के लिये भी एक आकाश-यात्रा का बोर्ड होना चाहिये जो एक प्रांतीय बोर्ड होना चाहिये और प्रांतों में ही वह स्थित होना चाहिये।

जब कभी हम सभी लोगों के हितों के संरक्षण के लिये संघीय कानून बनायें तो हमें इन कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये। इसको दृष्टि में रखते हुये और यह भी विचार करते हुये कि इसे सभा स्वीकार करेगी, मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार यह मद रखी गई है मैं इसका समर्थन करता हूं।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, श्री मेहता ने यह प्रस्ताव किया है कि मद 37 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

''वायुयान-कला की शिक्षा तथा उसका काम सिखाने की व्यवस्था और प्रदेशों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की शिक्षा तथा इस प्रकार के काम सिखाने के नियमन।''

और मैं उसे स्वीकार करता हूं।

दूसरा संशोधन इस मद के विरामों के संबंध में है। मैं मि॰ नजीरुद्दीन अहमद की इस राय से सहमत हूं कि ''वायुयान-संचालन'' शब्द के बाद सेमी-कोलन रखा जाना चाहिये था और गलती से कोलन रख दिया गया है और मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूं। मैं उनकी इस राय से भी सहमत हूं कि ''हवाई अड्डों की व्यवस्था'' शब्दों के बाद कौमा की जगह सेमीकोलन होना चाहिये।

इस संशोधन को पेश करने में उन्होंने जिस विचारधारा का अनुसरण किया है उसको ध्यान में रखते हुये मेरी राय से, यदि वे सहमत हों, तो ''व्यवस्था'' के पहले जो ''वह'' शब्द है उसे निकाल दिया जाना चाहिये। परंतु यदि वे इससे सहमत न हों तो हम नियमन के आगे ''वह'' शब्द रख सकते हैं। मेरी तो अपनी यह राय है कि ''व्यवस्था'' के पहले जो ''वह'' शब्द है उसे निकाल दिया जाये। इससे मद निम्न प्रकार हो जायेगी:

''वायुयान और वायुयान-संचालन; हवाई अड्डों की व्यवस्था; आकाशयात्रा और हवाई अड्डों का नियमन और संगठन; वायुयान-कला की शिक्षा तथा उसका काम सिखाने की व्यवस्था और प्रदेशों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की शिक्षा तथा इस प्रकार के काम सिखाने का नियमन।''

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधनों पर मतदान लेता हूं। पहला संशोधन श्री मेहता का है। मैं समझता हूं कि उसे श्री गोपालस्वामी आयंगर ने स्वीकार कर लिया है। मैं अब उस संशोधन पर मतदान लेता हूं:

''मद 37 के बाद निम्नलिखित नई मद जोड़ दी जाये:

'वायुयान-संचालन की विभिन्न शाखाओं अर्थात् नागरिक और सैनिक शाखाओं का काम सिखाना'।''

[अध्यक्ष]

जो सज्जन इसे जोड़ने के पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे।

***कई माननीय सदस्यः** जी, हां।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** उन्होंने इस संशोधन को वापस ले लिया है।

***अध्यक्षः** मुझे खेद है कि गलती हो गई है। मुझे इसका खेद है कि मतदान वापस लेना होगा। गलती से मैंने इस पर मतदान ले लिया।

अब मैं इस संशोधन पर वोट लेता हूं कि मद 37 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

''वायुयान-कला की शिक्षा तथा उसका काम सिखाने की व्यवस्था और प्रदेशों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की शिक्षा तथा इस प्रकार के काम सिखाने का नियमन।''

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***श्री एम॰ अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, आप सभा की भावना समझकर यह घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि हम 'हां' का उच्चारण नहीं सुन पा रहे हैं। कम से कम किसी संशोधन के प्रस्तावक को तो 'हां' कहना चाहिये। वरना हम उसे स्वीकार क्यों करें? यह सभा का ही कर्तव्य नहीं है कि वह 'हां' कहे बल्कि प्रस्तावक का भी यह कर्तव्य है।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय ने 'हां' कहा है।

अब सेमीकोलनों के साथ संशोधित मद पर मतदान लिया जाता है।

***एक माननीय सदस्यः** क्या सभा यह जान सकती है कि अब वह किस प्रकार हो गई है?

***अध्यक्षः** ''वायुयान और वायुयान-संचालन; हवाई अड्डों की व्यवस्था; आकाश-यात्रा और हवाई अड्डों का नियमन और संगठन; वायुयान-कला की शिक्षा तथा उसका काम सिखाने की व्यवस्था और प्रदेशों तथा अन्य

संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की शिक्षा इस प्रकार के काम सिखाने का नियमन।''

संशोधित मद स्वीकार कर ली गई।

***अध्यक्ष:** अब एक बज गया है। अब सभा कल दस बजे तक के लिये स्थगित रहेगी।

इसके उपरांत परिषद् बुधवार, 27 अगस्त सन् 1947 ई० के दिन के दस बजे सुबह तक के लिये स्थगित रही।